कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : विधानसभा चुनाव परिणाम

भाजपा की जबरदस्त जीत.......... 7

संपादकीय टिप्पणी.......... 11

मुद्दा : तेलंगाना

व्यापक सहमति नहीं बना पाई कांग्रेस.......... 9

लेख

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 का जनादेश : एक विश्लेषण
– **ओमप्रकाश कोहली**.......... 13

बेमिसाल संकल्पशक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को वंदन
– **नरेन्द्र मोदी**.......... 15

धारा 370 का पंथनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं....
– **अरुण जेटली**.......... 17

राजनीति का वह दौर.........!!!!!
–**प्रभात झा**.......... 19

नवाज शरीफ ने सबक नहीं सीखा
–**जी पार्थसारथी**.......... 21

कांग्रेस की चुभने वाली चुप्पी
– **ए. सूर्यप्रकाश**.......... 23

पुल नहीं, खाई है धारा 370
–**बलदेव भाई शर्मा**.......... 25

मुख पृष्ठ : **विधानसभा चुनाव परिणाम**

शहीदों को शत्-शत् नमन!

बिस्मिल

अश्फाक

रोशन सिंह

19 दिसम्बर 1927 के बहुचर्चित काकोरी कांड में फांसी हुई

बोध कथा

दयानंद का जवाब

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने समय में एक बड़ी सामाजिक-धार्मिक क्रांति की थी। वेदों के अलावा और भी अनेक विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उनकी प्रतिभा का लोहा सभी मानते थे पर अनेक विद्वान मन ही मन उनसे ईर्ष्या भी करते थे। वे उन्हें नीचा दिखने का मौका ढूंढते रहते थे। कई लोगों ने तो उनसे सीधे शास्त्रार्थ किया तो कई लोग बातों में कटाक्ष करते रहते थे। पर दयानंद इससे विचलित नहीं होते थे। वे अपनी प्रखर बौद्धिकता और विनोदप्रियता से उन्हें मात दे देते थे। उनके विरोधी बड़े उत्साह और जोश से उनके पास आते लेकिन उनसे पराजित होकर लौट जाते थे।

एक दिन दक्षिण से जिज्ञासुओं का दल उनसे अपनी शंका का समाधान कराने आया। दयानंद ने उन सबका यथोचित स्वागत किया और प्रेमपूर्वक बैठने को कहा। उनमें से वेंकटगिरी नामक एक अतिथि बोला-जिस आसन पर आप विराजते हैं, मैं तो वहीं बैठूंगा। दयानंद ने उसके लिए अपना आसन छोड़ दिया। तभी आंगन में एक पेड़ पर बैठा कौवा कांव-कांव करने लगा। दयानंद बोले-देख लीजिए, वह कौवा कितने ऊंचे स्थान पर बैठा है। पर क्या केवल उच्च स्थान पर बैठने से कौवा भी विद्वान माना जाएगा? तभी एक अन्य सज्जन ने उन्हें घेरने के लिए प्रश्न किया- बताइए, आप विद्वान हैं या एक सामान्य पुरुष? दयानंद उसका आशय समझ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे स्वयं को विद्वान कहेंगे तो उसमें आत्मप्रशंसा झलकेगी और यदि स्वयं को सामान्य बताएंगे तो प्रश्न उठेगा कि उन्हें दूसरों को उपदेश देने का अधिकार कैसे मिला? उन्होंने कहा- भाइयो, मैं वेद, व्याकरण, धर्म, दर्शन का विद्वान हूं पर व्यापार, चिकित्साशास्त्र आदि में एकदम शून्य। दयानंद का यह उत्तर सुनकर उन लोगों की बोलती बंद हो गई। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। वे दयानंद के प्रशंसक बन गए।

संकलन : मुकेश जैन

(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

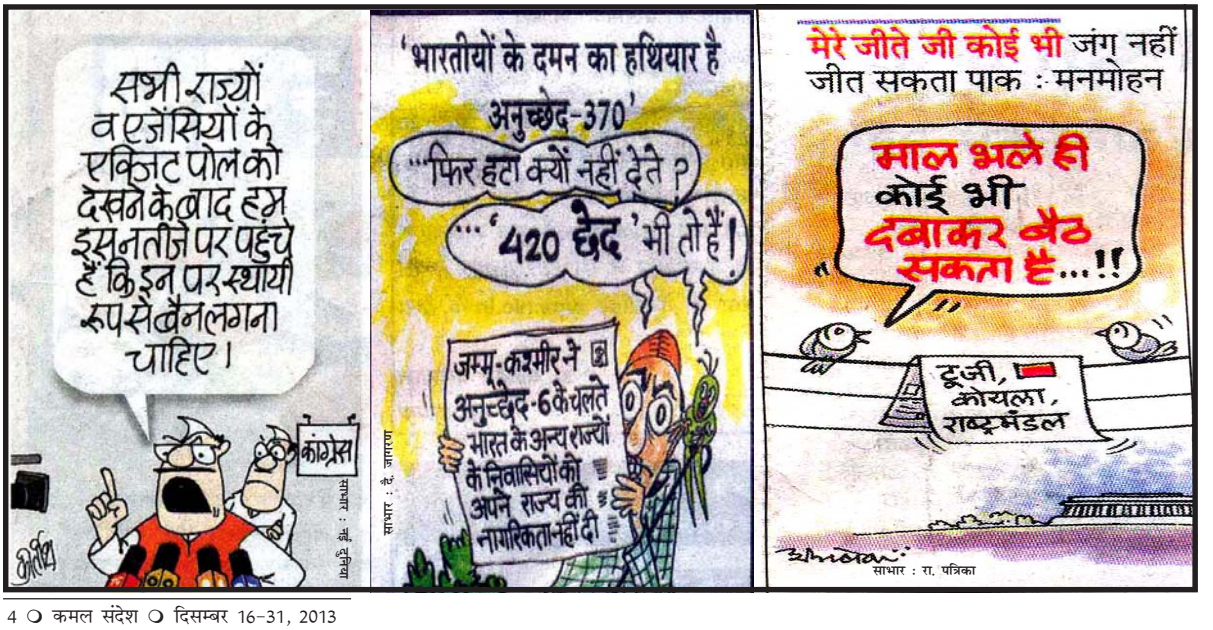

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के संकेत

समाधकीय

आगामी लोकसभा चुनाव का रास्ता सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से होकर जा रहा है। कल तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा था पर आज सभी कहने लगे कि अब तो केन्द्र में अगली सरकार भाजपा-नीत एनडीए की बनेगी। परिणाम अपेक्षित ही आए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां सरकार बनना तय था वहीं छत्तीसगढ़ भी किसी से पीछे नहीं था। हां दिल्ली में कश्मकश जरूर रही। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने वाला प्रदेश पहले अकेले गुजरात हुआ करता था, अब दो राज्य उसमें और जुड़ गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भाजपा ने इतिहास रचा है। उसने सिद्ध किया है कि वह सरकार भी चलाती है, चलती सरकार में दुबारा चुनाव लड़ती है और फिर चुनाव जीतती भी है। अब वह दिन लद गए जब लोग कहा करते थे कि भाजपा सरकार में आती नहीं, आती है तो चला नहीं पाती, चलाती है तो इनके मुख्यमंत्री टिक नहीं पाते, इन सब बातों पर इस विधानसभा चुनाव परिणामों ने रोक लगा दी। और इसके ठीक विपरीत यह बात साबित कर दी कि हम सरकार में भी आते हैं, चलाते भी हैं, और वर्षों मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार आना आसान नहीं था। सरकार में 10 साल से रहते हुए आगामी पांच वर्षों के लिए सरकार का रास्ता बनाना सहज नहीं होता है पर दोनों ही राज्यों में किए गए जनकल्याणकारी कार्य जनता में सिर चढ़कर बोले रहे थे। सबलतम नेतृत्व, नेतृत्व में आस्था, नेतृत्व का संगठन पर विश्वास, सत्ता और संगठन में समन्वय, बेमिसाल माना जा रहा है। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आखिरी-आखिरी में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान तीनों राज्यों में खंदक की लड़ाई लड़ी। झूठ के पैर नहीं होते यही कारण रहा कि कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाई।

सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान जनता का चहेते व्यक्तित्व बन चुके हैं। लोगों ने उनके साथ अपना सरोकार स्थापित किया है। आज के भौतिकतावादी युग में जनता से सामाजिक रिश्ते बना लेना बच्चों का खेल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान किसी के मामा बने तो किसी के भैया, तो किसी का बेटा, ये रिश्ते झूठे नहीं थे। राजनीति के झंझावात में रिश्तों ने अपना खेल दिखाया। लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ, ''शिवराज हमारा है- शिवराज हमारा है,'' हुआ भी ऐसा कि शिवराज सभी के थे।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए अनेक जनहितकारी निर्णय और उसका असर चुनावी मैदान में दिख रहा था। विकास की तूती बज रही थी। मसला सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, योजनाओं के क्रियान्वयन का हो, अन्नपूर्णा योजना का हो, 1 रु. किलो गेहूं, 2 रु. किलो चावल का मसला हो या 1 रु. किलो नमक का मामला हो, मसला लाडली लक्ष्मी योजना या कन्यादान योजना या जननी सुरक्षा योजना हो या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का हो, ऐसे सभी योजनाओं में सभी क्षेत्रों में अपना-अपना रंग दिखाया। जनाशीर्वाद यात्रा को मिली अपार सफलता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सतत् प्रवास, संगठन की कुशलता, प्रभावी संगठन के लिए ख्यात मध्यप्रदेश में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकबद्ध, एकलय होकर चुनाव प्रचार में काम किया, वह सिर्फ सराहनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है। संगठन का कुशल प्रयास, शिवराजजी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ली गयी सफलतम सभाएं कांग्रेस की चेष्टाओं को विफल करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

राजस्थान को यदि करीब से देखने की कोशिश करें तो कमोबेश स्वयं वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा संगठन और प्रबंधन से जुड़े लोगों की मेहनत को बधाई देनी होगी। वसुंधरा जी द्वारा निकाली गयी संकल्प सुराज यात्रा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत की इबारत लिख दी थी। उन्होंने भी अथक परिश्रम किया। कार्यकर्ता भी न रूके, न थके बल्कि बढ़ते रहे। जीत की उमंग हर कार्यकर्ता में भरी हुई थी। पिछली बार की हार का बदला लेने का मन नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं में स्वत: संचारित हो रहा था। कांग्रेस सरकार की कमजोरियां

और गहलोत की पिटाई भी भाजपा ने जमकर की। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी कि जन-जन में अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश मन में था, उसे भाजपा ने सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया।

बात करें छत्तीसगढ़ की तो नक्सलवादियों द्वारा जिस तरह से कांग्रेस नेताओं पर हमला किया गया था और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से जिस तरह कांग्रेस ने लाभ लेने की कोशिश की उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता। लेकिन 'चाउर वाले बाबा' डा. रमन सिंह अपनी योजनाओं को 'विकास यात्रा' के माध्यम से गांव-गांव तक ले गये। डा. रमन सिंह ने भी 90 विधानसभाओं में अखण्ड प्रवास किया। उनके चुनावी रथ का पहिया पल भर को रूका नहीं। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की तब भी वे रमन सिंह के विजय-पथ को रोक नहीं पाये। इसमें कोई दोमत नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच कश्मकश रही। अंत में जीत तो उनकी हुई जिन्होंने नेक-नियति से जनता की सेवा की थी। कांग्रेस लाख बातें करें यदि नक्सलवादी घटना नहीं हुई होती और कांगेस ने उसे राजनीतिक जामा नहीं पहनाया होता तो विधानसभा में उनकी संख्या और भी कम होती। विषम परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम लाना सहज नहीं होता, डा. रमनसिंह और छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता सच में बधाई के पात्र हैं कि वे अनेक कार्यकर्ताओं के बाद भी सरकार बनाने में सफल रहे।

अब बात करें दिल्ली की। यहां पर भी गत पन्द्रह वर्षों में लोग कांग्रेस से ऊब चुके थे। यह तो साफ दिख रहा था कि कांग्रेस सरकार में नहीं आएगी और यह भी साफ दिख रहा था कि जब कांग्रेस नहीं आएगी तो भाजपा ही आएगी।

इस बीच में 'आम आदमी पार्टी' ने दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की पहल प्रारंभ की। जनता को गुमराह करने की 'आप' द्वारा कुछ कोशिशें भी प्रारंभ की गयीं। यही कारण है कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत मिलने में सभी को कठिनाई हुई है। बावजूद इसके नम्बर एक पर भाजपा का होना इस बात को ध्वनित करता है कि आम आदमियों की जहन में भाजपा ही बसी हुई है।

आगे दिल्ली में क्या होता है यह तो समय तय करेगा लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में भाजपा नम्बर एक पार्टी है और राजनीतिक तौर पर सत्ता में आने का हक उसी का बनता है।

विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश में यह चर्चा चल पड़ी है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बनाना ही है। भाजपा को अपने इस विजय अभियान को आगामी लोकसभा चुनाव तक जारी रखना होगा साथ ही उन चीजों से दूर भी रहना होगा, जो लोकसभा के मार्ग में अवरूद्धता लाएं। हमें विश्वास है कि भाजपा न केवल प्रधानमंत्री पद की घोषणा बल्कि प्रधानमंत्री तक पहुंचने की सामर्थ्यशाली जिम्मेवारी के निर्वाह में भी अपना कदम बढ़ाएगी। ■

जीवेम शरदः शतम्

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा सहित अन्य सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घायु की कामना करते हुए अभिलाषा रखते हैं कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

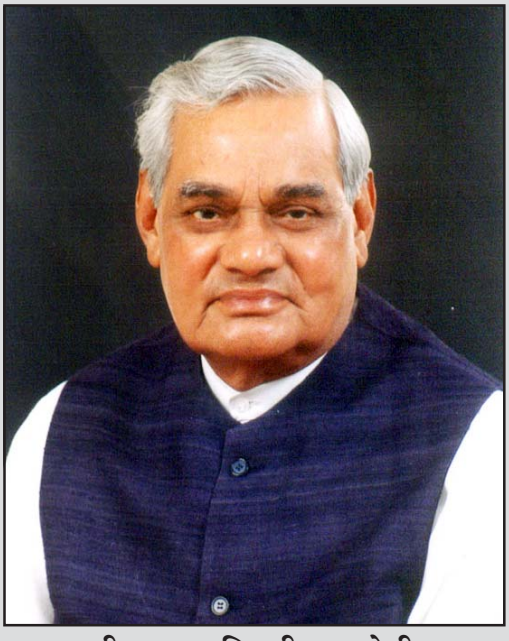

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
जन्म-दिवस : 25 दिसम्बर

विधानसभा चुनावों पर विशेष

भाजपा की जबरदस्त जीत

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में हैट्रिक
राजस्थान में शानदार वापसी
दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी

– विशेष संवाददाता द्वारा

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने हैट्रिक जीत दर्ज की, राजस्थान में भाजपा की शानदार वापसी हुई, दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को केवल मिजोरम में जीत हासिल हो सकी। 8 दिसम्बर को आए चुनाव परिणामों से देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है, वे ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।

राजस्थान

राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर कांग्रेस का सफाया कर दिया। प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल कर भाजपा ने कांग्रेस को जोरदार शिकस्त दी। राज्य की दो सौ विधानसभा सीटों में 199 पर हुए चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का एक तरह से सूपड़ा ही साफ हो गया। भाजपा ने 162 सीटें जीत कर कांग्रेस को सिर्फ 21 पर ही समेट दिया। किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा चार सीटों पर ही सिमट गई। बसपा ने तीन और निर्दलियों ने नौ सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस सरकार के ज्यादातर मंत्री और बड़े नेता चुनाव हार गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान भी चुनाव हार गए। भाजपा की मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे ने झालरापाटन सीट साठ हजार वोटों के बड़े अंतर से जीती। प्रदेश में 1998 में कांग्रेस ने 156 सीट जीत कर रेकॉर्ड बनाया था। उस रेकॉर्ड

को इस चुनाव में भाजपा ने तोड़ कर 162 सीट जीत कर नया इतिहास बनाया।

भाजपा की जीत राज्य के हर आदमी की जीत : वसुंधरा राजे

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई हैं। यह चुनाव तो सिर्फ एक टेस्ट था। असली इम्तिहान तो अभी बाकी हैं। जमीन तो नाप ली हमने आसमान अभी बाकी हैं और यह इम्तिहान वर्ष 2014 में होगा।

jkt LFkku		
dqy lhV& 200 ¼199 ij pquko½		
ny	thr	2008
भाजपा	162	78
कांग्रेस	21	96
बसपा	3	6
एनपीपी	4	–
एनयू	2	–
निर्दलीय	7	14

उन्होंने कहा कि इस इम्तिहान में सौ फीसदी अंकों के साथ पास होकर देश में भाजपा की सरकार एवं मोदी को प्रधानमंत्री बनाना हैं। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है देश में भाजपा की सरकार बने मोदी प्रधानमंत्री बने और हम उन्हें राजस्थान से सभी 25 सीटें दें। श्रीमती राजे ने भाजपा की जीत को कांग्रेस कुशासन को नकार कर सुराज की प्रतीक एवं राज्य के हर आदमी की जीत बताते हुए इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, सभी वर्ग, युवा शक्ति, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, दलित, पिछडे, अल्पसंख्यक और आदिवासियों सहित सभी को धन्यवाद दिया।

मध्यप्रदेश

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित्ता हो गई। यह पहला मौका है, जब किसी पार्टी ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। भाजपा को 165 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 58 के आंकड़े पर सिमट गई। इस बार बसपा को चार और निर्दलियों को तीन स्थानों पर जीत मिली। वर्ष 2008 के पिछले चुनाव के मुकाबले प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को इस बार 22 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को तेरह सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इसी तरह बसपा को भी तीन सीटों की हानि हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी (सीहोर) और विदिशा दोनों सीटों से जीत दर्ज की। अपने गृहक्षेत्र बुदनी से पिछला चुनाव करीब 41 हजार वोटों से जीते श्री चौहान ने अबकी इस सीट पर 80 हजार से अधिक वोटों से फतह हासिल कर नया इतिहास रचा। लगातार दस बरस के शासन के बावजूद भाजपा को पहले से ज्यादा वोट मिलने से जाहिर है कि उसके खिलाफ कांग्रेस का कोई दांव नहीं चल पाया। कुल मतदाताओं में 35 फीसद का बड़ा हिस्सा रखनेवाले युवा मतदाताओं ने भाजपा की ओर रुझान दिखाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान कई जनहितैषी योजनाएं व कार्यक्रम चलाकर और विभिन्न तबकों की पंचायतें बुलाकर किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक, युवा आदि ज्यादातर वर्गों को लुभाने में सफल रहे। इसके साथ श्री चौहान की बड़ी उपलब्धि रही उनका सीधा-सादा बना रहना, सबके लिए सदैव उपलब्ध रहना और लगातार जनता के संपर्क में बने रहना।

लोकसभा चुनाव में जीत अगला लक्ष्य : शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार की जीत को जनता के प्यार, स्नेह, विश्वास के साथ ही पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब अगला

लक्ष्य लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का रहेगा। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद चौहान ने भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि वे प्रदेश में जनता के कल्याण प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

e/; in'k		
dy lhV& 230		
ny	thr	2008
भाजपा	165	143
कांग्रेस	58	71
बसपा	4	7
निर्दलीय	3	3

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें और संगठन को मार्गदर्शन दिया। वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार बनाने का संकल्प लेते हुए श्री चौहान ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मध्यप्रदेश सबसे अधिक सीटें देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस कसौटी पर वे उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत हासिल कर लगातार तीसरी

बार सत्ता में पहुंची। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अगुआई में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में 49 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली। दो सीटें निर्दलियों के खाते में गई। विदित हो कि भाजपा ने पिछले चुनाव में 50 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को 38 सीटें मिली थीं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की अलका मुदलियार को 35,866 मतों के अंतर से पराजित किया। अलका मई माह में दरभा घाटी में हुए नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार की पत्नी हैं।

जनता ने विकास कार्यों पर जताया भरोसा : डॉ. रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भाजपा की लगातार तीसरी जीत के लिए जनता को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया। डॉ. सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है कि राज्य में जनता ने तीसरी बार भाजपा को चुना है और यह राज्य की जनता की जीत है।

NRrhlx<		
dy lhV& 90		
ny	thr	2008
भाजपा	49	50
कांग्रेस	39	38
बसपा	1	2
निर्दलीय	1	0

उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने विकास की राजनीति की और विकास के नाम पर ही जनता का सहयोग मांगा था। राज्य की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही वह अपने केंद्रीय नेतृत्व, राज्य में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी मेहनत के कारण आज राज्य में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।

डॉ. सिंह ने कहा कि चार राज्यों के चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि अब देश की जनता देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और वह केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही है। यह देश में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था और इस परिणाम से साफ है कि देश में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।

दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 31 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 28 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को आठ सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के खाते में एक सीट गई। एक सीट पर जदयू तो एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉ. हर्षवर्धन 43,150 वोट से चुनाव जीते। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत उनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य चुनाव हार गए।

यह कांग्रेस की नीतियों पर तमाचा है : डॉ. हर्षवर्धन

मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे पूरा

भरोसा है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। यह कांग्रेस की नीतियों पर तमाचा है, इसके लिए हम जनता को बधाई देना चाहते हैं।

fnYyh dy lhV& 70		
ny	thr	2008
भाजपा	31	23
आम आदमी पार्टी	28	—
कांग्रेस	8	43
जदयू	1	0
शिरोमणि अकाली दल	1	—
निर्दलीय	1	1

डॉ. हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप को इस कदर सफलता मिलेगी, इसका तो अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन यह स्पष्ट है कि लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान किया और केजरीवाल बधाई के पात्र इसलिए हैं कि वे इस मूड को समझ सके।

भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल

मतगणना के दिन 8 दिसंबर को भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पर सुबह शुरुआती रुझान मिलने के साथ ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। सांस्कृतिक परिधानों में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे छोड़े। ''भाजपा जिंदाबाद, वंदेमातरम्, भारत माता की जय'' के नारे लगाए। मिठाई खिलाकर लोगों के मुंह मीठा कराए। पंडित पंग मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी यही नजारा था। ■

भाजपा नेता बोले....

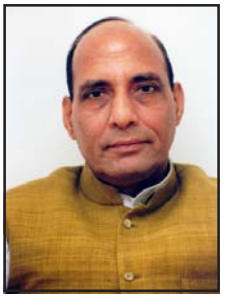

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के समर्थन में जनता ने मतदान किया और राजस्थान में कांग्रेस के विकास के दावों को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आए। ये परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के संकेत देते हैं। इन चुनाव में भाजपा को नरेंद्र मोदीजी की लोकप्रियता का सर्वाधिक लाभ मिला और प्रांतीय नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

- राजनाथ सिंह,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

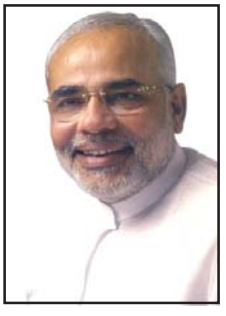

चारों राज्यों में कांग्रेस ने जितनी कुल सीटें जीतीं, वे भाजपा द्वारा एक राज्य में जीती गयी सीटों के बराबर भी नहीं है। मैं राजनाथ जी, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओ को चुनावों में उनकी कड़ी मेहनता के लिए बधाई देता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे जी, रमन सिंह जी, हर्षवर्धन जी और उनकी टीमों को उनके प्रयास के लिए बधाई, जिससे भाजपा का भव्य प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ।

- नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी

मिजोरम में कांग्रेस को बहुमत

40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दो तिहाई बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी। कांग्रेस को 34 और मुख्य विपक्षी गठबंधन मिजोरम डेमोक्रेटिक एलायंस (एमडीए) के घटक दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को 5, मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (एमपीसी) को एक सीट मिली है।

fetkje dy lhV& 40		
ny	thr	2008
कांग्रेस	34	32
मिजो नेशनल फ्रंट	5	3
अन्य	1	5

संपादकीय टिप्पणी

चार राज्यों-मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हिंदी के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में जहां इसे ऐतिहासिक बताया है, वहीं कांग्रेस की हार के पीछे बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण करार दिया है। हम यहां प्रमुखांश प्रकाशित कर रहे हैं:

'नेशनल दुनिया' की संपादकीय टिप्पणी का शीर्षक है-'नमो ने निकाली कांग्रेस की हवा।' इसमें बताया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से चार प्रमुख राज्यों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ जनता में जबर्दस्त नाराजगी है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के लिए चुनौती बताए जा रहे इन चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस मोदी की चुनौती के आगे कहीं नहीं ठहर पा रही है। उसके ये दावे हवा हो गए हैं कि चुनाव परिणाम मोदी की हवा निकाल देंगे। राहुल गांधी जिन पर कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हैं, सचाई से मुंह चुराते हुए पूरे परिदृश्य से नदारद हैं और कांग्रेसी नेता उनको बहस के केन्द्र में लाने से कतरा रहे हैं और यह साबित करने में जुटे हैं कि राहुल फूल नहीं हुए हैं। जबकि राजस्थान और दिल्ली में पार्टी का शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जबकि भाजपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें दुबारा बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में तो उसने सारे मीडिया अनुमानों को ध्वस्त करके दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। राजस्थान में जहां गहलोत सरकार के विकास का ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा था, कांग्रेस की कल्पनातीत दुर्गति हुई है जबकि भाजपा तीन चौथाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में विकास का चेहरा बताई जा रहीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जादू किसी काम न आ सका और पार्टी दहाई तक भी न पहुंच सकी। खुद दीक्षित का जादू किसी काम न आ सका और पार्टी दहाई तक भी न पहुंच सकी। खुद दीक्षित को बुरी तरह हार सामना करना पड़ा है।

इन चुनाव परिणामों का संदेश साफ है कि हर मोर्चे पर केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से से ये चुनाव भी अछूते नहीं रहे हैं। सोनिया गांधी को भी यह सचाई स्वीकार करनी पड़ रही है। इसलिए इससे इंकार नही किया जा सकता कि ये नतीजे 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावित दुर्गति का संकेत दे रहे हैं। जनता जहां विकास और सुशासन चाहती है वहीं साफ-सुथरी सरकार भी उसे चाहिए।

आप विकास के नाम पर जनता से भ्रष्टाचार और दुराचार की छूट नहीं ले सकते। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में घोटालों से लेकर चुनाव प्रचार में सरकारी धन के दुरुपयोग तक में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आरोपित हुई और राजस्थान में गहलोत सरकार के पांच मंत्री यौन शोषण के आरोपों से घिरे। तब विकास की दुहाई की सार्थकता क्या रह गई? शीला दीक्षित महिलाओं की सुरक्षा, बारिश के पानी और पूर्वांचलियों को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां करती रहीं, उनसे उनका दर्प साफ झलकता था। जनता तो अच्छे-अच्छों का अहंकार चूर कर देती है, दिल्ली में भी यही हुआ।

दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है -'आप का आभार।' अखबार लिखता है कि दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे भी राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने वाले हैं। ये नतीजे कांग्रेस को पहले से ज्यादा पस्त और भाजपा को और उत्साहित करेंगे। यह सही है कि विधानसभा चुनावों के मुद्दे आम चुनावों के मुद्दों से भिन्न होते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्रीय मुद्दे भी अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते हैं और तब तो अवश्य ही जब वे जनता को त्रस्त करने वाले भ्रष्टाचार और महंगाई के रूप में हों।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इन दोनों समस्याओं के विकराल रूप में अस्तित्व में बने रहने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार केंद्र सरकार है। चूंकि ये समस्याएं किसी न किसी स्तर पर केंद्रीय सत्ता के कुशासन को भी बयान करती रहीं इसलिए कांग्रेस चारों राज्यों में खेत रही। यदि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह शानदार ढंग से जीते और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे तो इसका सीधा मतलब है कि इन राज्यों की जनता ने कांग्रेस के वायदों के बजाय इन नेताओं के काम पर भरोसा किया।

राजस्थान में कांग्रेस की हार तय दिख रही थी, लेकिन इसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो कि उसे इतनी बड़ी पराजय झेलनी पड़ेगी। इसमें संदेह है कि कांग्रेस को यह समझ आएगी कि रियायतों की रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने का दौर बीत चुका है। इसमें भी संदेह है कि वह मोदी के उभार के रूप में सामने आ खड़ी हुई चुनौती को सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकारने का साहस जुटा पाएगी।

'जनसत्ता' ने अपने संपादकीय 'मतदाता का मन' में लिखा है कि इन चार राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसलिए अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जहां उत्साहित और आशान्वित दिख रही है वहीं मायूस कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखना आसान नहीं होगा।

'नया इंडिया' ने 'भाजपा की आंधी का पैगाम' शीर्षक के तहत लिखा है कि ताजा चुनाव नतीजों का संदेश है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस से नाराज मतदाताओं ने विकल्प देखा है। परिणामस्वरूप जहां मुकाबले में कांग्रेस है वहां भाजपा की आंधी चली।

'नवभारत टाइम्स' का संपादकीय है 'बड़े बदलाव की ख्वाहिश।' समाचार-पत्र लिखता है कांग्रेस चाहे जो भी कहे लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक अर्थ में अगले आम चुनाव का सेमीफाइनल तो थे ही। इनमें से जिन चार के नतीजे अब तक घोषित हुए हैं, उनका एक साझा संदेश बिल्कुल साफ है कि देश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन से हताश हो चुकी है। मामला सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार का नहीं, एक सर्वव्यापी अनिर्णय का भी है, जिससे बाहर निकलने की कोई इच्छाशक्ति कांग्रेस नेतृत्व इधर कई वर्षो से नहीं दिखा पा रहा है।

'हिन्दुस्तान' ने 'सेमीफाइनल के सबक' शीर्षक के तहत लिखा है कि जिन विधानसभाओं के चुनावों को 2014 के आम चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, उनके नतीजों का सम्मान काफी हद तक भातीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन यह वैसी जोरदार जीत नहीं है, जैसी उसके नेता चाहते होंगे। अलबत्ता कांग्रेस के लिए इन चुनावों के नतीजे करारी हार लेकर आए हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ मे उसका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा को शानदार बहुमत मिला है।

दिल्ली और राजस्थान में कांग्रसे का सूपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान में इतनी करारी हार की आशंका पार्टी को नहीं रही होगी।.... इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था, तो वह तेजी से बढ़ती महंगाई का था। 2009 के बाद खुदरा महंगाई हमेशा दहाई में बढ़ती रही है और उसी अनुपात में सरकार की लोकप्रियता कम होती गई है।

इसी के साथ विकास दर छोटी है, जिसकी वजह से रोजगार और आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है इसे आम आदमी ने भ्रष्टाचार के बढ़ते ग्राफ और सरकार की अकर्मण्यता से जोड़ लिया और कांग्रेस को नकार दिया। ■

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 का जनादेश : एक विश्लेषण

✍ ओमप्रकाश कोहली

गत 4 दिसम्बर 2013 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मतदाता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। यद्यपि भाजपा और अकाली दल गठबन्धन को 32 सीटों पर विजयी बनाकर उसे सबसे बड़े दल के रूप में चुना है, पर वह भी पूर्ण बहुमत से चार सीटें पीछे रह गई है। 'आप' पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटों पर विजय मिली है। जद (यू) का एक प्रत्याशी जीता है और एक सीट निर्दलीय ने जीती है। इस बार के चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिल सकी।

2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1.19 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 65.86 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला। पिछले चुनाव (2008) में 1.07 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 61.78 लाख मतदाताओं ने वोट डाला था। इस बार के चुनाव में वोट प्रतिशत विगत चुनावों की तुलना में अधिक रहा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता के बढ़ते विश्वास का सूचक है और अभिनन्दनीय है।

इस बार का चुनाव त्रिकोणीय था, जबकि इसके पहले के चुनाव (1993, 1998, 2003 और 2008 के चुनाव) कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे टकराव वाले चुनाव थे। मार्च 2013 में पंजीकृत हुई आम आदमी पार्टी (आप) ने इस बार के चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया। त्रिकोणात्मक चुनाव में भाजपा को 31.4 प्रतिशत मत मिले, जबकि 1993 में उसे 42.8 प्रतिशत, 1998 में 34.0 प्रतिशत, 2003 में 35.2 प्रतिशत और 2008 में 36.3 प्रतिशत मत मिले थे। पिछले चार चुनावों की तुलना में इस बार का भाजपा का वोट प्रतिशत सबसे कम रहा है, जिसके बारे में भाजपा को गहराई से विचार करना होगा।

कांग्रेस को इस बार के चुनाव में मात्र 27 प्रतिशत मत पड़े, जो पिछले चुनावों की तुलना में सबसे कम थे। कांग्रेस को 1993 में 34.5 प्रतिशत, 1998 में 47.8 प्रतिशत, 2003 में 48.1 प्रतिशत और 2008 में 40.3 प्रतिशत मत मिले थे। दिल्ली विधानसभा के अब तक हुए पांच चुनावों में कांग्रेस के मत प्रतिशत में भारी गिरावट कांग्रेस के प्रति जनता के आक्रोश और सत्ता विरोधी लहर की सूचक है। शीला दीक्षित चाहे दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का दावा करती रही हों, किन्तु दिल्ली के मतदाता ने केन्द्र की यू.पी.ए सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार दोनों के प्रदर्शन के खिलाफ अपने प्रबल आक्रोश का इज़हार किया है।

दिल्ली विधानसभा के अब तक हुए पांच चुनावों में कांग्रेस के मत प्रतिशत में भारी गिरावट कांग्रेस के प्रति जनता के आक्रोश और सत्ता विरोधी लहर की सूचक है। शीला दीक्षित चाहे दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का दावा करती रही हों, किन्तु दिल्ली के मतदाता ने केन्द्र की यू.पी.ए सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार दोनों के प्रदर्शन के खिलाफ अपने प्रबल आक्रोश का इज़हार किया है।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पहली बार शरीक हुई नवगठित पार्टी 'आप' का प्रदर्शन प्रशंसनीय भी है और चौंकाने वाला भी। 'आप' पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की और 27 प्रतिशत मत प्राप्त किए। आप ने कांग्रेस के दलित आधार के अलावा भाजपा के मध्यवर्ग के आधार में ज़ोरदार सेंध लगाई। इसके अलावा 'आप' ने प्रथम बार के युवा मतदाता को भी बड़े परिमाण में आकर्षित किया। 'आप' पार्टी अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और निर्भया सम्बन्धी आन्दोलन के कन्धे पर चढ़कर शानदार सफलता दर्ज कर पाई। 'आप' की सफलता में उसकी चुनाव प्रचार की नूतन शैली, सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग और अपरम्परागत तरीकों और पद्धतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनावों में यद्यपि तीसरी ताकत प्राय: अनुपस्थित रही है, तो भी 1993 के चुनाव में जनता दल ने लगभग 11 प्रतिशत वोट और 4 सीटें प्राप्त की थीं। 2008 के चुनाव में बसपा ने 14.1 प्रतिशत वोट पाए थे। इस बार भाजपा, आप और कांग्रेस को छोड़कर और कोई भी दल अपनी खास उपस्थिति दर्ज नहीं कर सका। 'आप' पार्टी ने 12 आरक्षित सीटों में से 9 पर जीत हासिल कर बसपा के दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। पहले दलित

वोटों पर या तो कांग्रेस का कब्ज़ा रहा है या फिर बसपा का। कांग्रेस के पास 2008 के विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 10 सीटें थीं, जो 2013 के चुनाव में मात्र एक ही रह गई। भाजपा को आरक्षित सीटों में दो पर विजय प्राप्त हुई। यद्यपि 'आप पार्टी ने भाजपा के परम्परागत वोट-मध्यवर्ग के वोट - में भी सेंध लगाई, पर भाजपा अपना परम्परागत वोट काफी हद तक बचाने में कामयाब रही।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दे थे - महंगाई, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली, पानी के बढ़े दाम और महिला सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था में गिरावट। केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के खराब प्रदर्शन का असर भी इन चुनावों पर खासा पड़ा। जनता में आक्रोश कितना प्रबल था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं शीला दीक्षित 25,864 वोटों के बड़े मार्जिन से हार गई; उनके मंत्री राजकुमार चौहान, रमाकान्त गोस्वामी, किरण वालिया और अशोक वालिया भी हार गए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दे थे - महंगाई, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली, पानी के बढ़े दाम और महिला सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था में गिरावट। केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के खराब प्रदर्शन का असर भी इन चुनावों पर खासा पड़ा। जनता में आक्रोश कितना प्रबल था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं शीला दीक्षित 25,864 वोटों के बड़े मार्जिन से हार गई; उनके मंत्री राजकुमार चौहान, रमाकान्त गोस्वामी, किरण वालिया और अशोक वालिया भी हार गए और राजधानी की सात संसदीय सीटों में राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नई दिल्ली संसदीय सीट के अन्तर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर सकी। कांग्रेस के खिलाफ एण्टी इंकम्बेंसी तीव्र होते हुए भी उसका जितना फायदा 'आप' ने उठाया, उतना भाजपा ने नहीं, हालांकि भाजपा के विधायकों की संख्या में 9 की बढ़ोतरी अवश्य हुई। भाजपा के लिए आत्ममंथन के विषय हैं; एक, लोगों में व्याप्त इस धारणा को दूर करना कि कांग्रेस और भाजपा में ज्यादा फर्क नहीं है, काफी हद तक दोनों एक समान है। दो, कार्यकर्ताओं में जनसंघ के जमाने का आदर्शवाद और निष्ठा जगाना तथा मतदाता से सम्पर्क के लिए घर-घर जाने की पुरानी आदत को पुन: उद्दीप्त करना। तीन, टिकट बांटने के विषय में भी नेतृत्व को अधिक निर्मम बनना पड़ेगा। चार, रूढ़ राजनीतिक मुद्दों के अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़ना होगा। पांच, आंदोलन और चुनाव प्रचार के नए तरीकों और शैलियों को अपनाना होगा।

2014 में लोकसभा चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों का लोकसभा के आगामी चुनाव के संदर्भ में विचार करना समीचीन होगा। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में भाजपा ने चाँदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 3 सीटों पर, दक्षिणी दिल्ली में 7 पर, नई दिल्ली में 3 पर, पूर्वी दिल्ली में 3 पर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5 पर, उत्तर पश्चिमी में 5 पर और पश्चिमी दिल्ली में 6 पर विजय प्राप्त की। 'आप' पार्टी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। इसे चाँदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 4 पर, दक्षिणी दिल्ली में 3 पर, नई दिल्ली में 7 पर, पूर्वी दिल्ली में 5 पर, उत्तर पूर्वी में 3 पर, उत्तर पश्चिमी में 2 पर और पश्चिमी दिल्ली में 4 पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वह चाँदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी लोकसभा में प्रत्येक में दो-दो विधानसभाएं जीत सकीं, पर दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली इन तीन लोकसभा क्षेत्रों की 30 सीटों पर उसका एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका।

2013 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जनादेश को लेकर रोचक बहस चल रही है। यह सच है कि तीनों प्रमुख दलों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर यह भी सच है कि जनादेश काँग्रेस के खिलाफ और बदलाव के पक्ष में है। भाजपा और आप पार्टी को मिलाकर मतदाता ने 70 में से 60 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 2008 की 43 सीटों के मुकाबले महज 8 सीटों तक समेट दिया है। वोट प्रतिशत की दृष्टि से विचार करें तो भाजपा को 31.4 प्रतिशत और 'आप' को 27 प्रतिशत वोट मिले हैं। इन दोनों दलों के वोटों का जोड़ 68 प्रतिशत से कुछ अधिक बैठता है। इसके मुकाबले काँग्रेस का वोट प्रतिशत मात्र 23 है। सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत दोनों दृष्टियों से विचार करें तो यह स्पष्ट है कि दिल्ली के मतदाता ने कांग्रेस को 'रिजेक्ट' कर दिया है और बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया है। अब देखना होगा कि विधानसभा में उभरे दोनों बड़े दल भाजपा और 'आप' जनादेश की भावना का सम्मान करने का कोई व्यावहारिक रास्ता निकालते हैं या दिल्ली को दुबारा चुनाव की ओर धकेलते हैं। ■

(लेखक दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं)

डॉ. अम्बेडकर को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि

बेमिसाल संकल्पशक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को वंदन

नरेन्द्र मोदी

आज भारत के सच्चे सपूत डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य तिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनकाल पर यदि दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि उनमें बेमिसाल संकल्पशक्ति, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी तरह के अवरोध को पार करने का गजब का शौर्य था। समाज के पिछड़े वर्ग से आने के चलते उन्हें अनेकों बार अपमान और पीड़ा का कड़वा घूंट पीना पड़ा था। लेकिन सिर्फ इसी वजह से शिक्षा हासिल करने और जन कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने के अपने उच्च उद्देश्य से वे डिगे नहीं। एक तेजस्वी वकील, विद्वान, लेखक और बेहिचक अपनी राय व्यक्त करने वाले एक स्पष्टवक्ता बौद्धिक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की।

वे भारतीय संविधान की रचना के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आज भी हम उन्हें देश के संविधान की रचना का विराट कार्य करने के लिए याद करते हैं। बाद में उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थीं।

आज अवसर है सामाजिक न्याय के आदर्शों तथा मूल्यों को याद करने का और इन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर उन्हें जीवन में उतारने का, जिनकी डॉ. अम्बेडकर ने हिमायत की थी। आज अवसर है डॉ. अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने का, जहां व्यक्ति को वर्ग के चश्मे से नहीं बल्कि समाज हित में उसके योगदान के आधार पर आंका जाए।

सर्वसमानता का भाव डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के दिल के सबसे करीब था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या आज हम समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सुनिश्चित तरीके से सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सके हैं? इस मामले में अभी काफी कुछ करना शेष है। विकास की यात्रा में एक भी व्यक्ति वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करना हमारी जवाबदारी है। गरीबतम व्यक्ति को भी जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक कोई भी कानून या सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिससे समाज के वंचित वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनने का सामर्थ्य मिलेगा। इसके अलावा हमें उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अपने स्वप्नों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

डॉ. अम्बेडकर सहित संविधान सभा के अन्य महानुभावों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान के मूल्यों के जतन की हमारी प्रतिबद्धता को आज हम एक बार फिर व्यक्त करें।

मैं यहां ऐसे दो मामलों का जिक्र करना चाहूंगा जिनकी पिछले दशक के दौरान दुर्दशा हुई है।

पहला मामला है भारत के संघीय ढांचे का। डॉ. अम्बेडकर ने एक मजबूत संघीय तंत्र का का ख्वाब देखा था, जिसमें राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जाती हो और देश के विकास के लिए केन्द्र और राज्य साथ मिलकर काम करते हों। उन्होंने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की परिकल्पना संघीय तंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर की थी।

दु:ख की बात यह है कि केन्द्र सरकार ही देश के संघीय ढांचे को तहस-नहस करने का प्रयास निरंतर करती रहती है। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का विरोध किया था और किस तरह से यह विधयेक संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र-एनसीटीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट भी देश के संघीय ढांचे पर गंभीर हमले के समान है।

दूसरा मुद्दा वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा से हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्वास दिलाता है। जिन लोगों को अलग अभिप्राय स्वीकार नहीं हैं वे आज भी अभिप्राय की विविधता को प्रोत्साहन देने के बजाय उसे कुचलना पसंद करते हैं। दो वर्ष पूर्व आज ही के दिन यूपीए सरकार के एक मंत्री ने सोशल मीडिया को 'चेतावनी' दी थी। किसी भी तरह की राय और दिल्ली के शासकों के खिलाफ आवाज को योजनाबद्ध तरीके से शांत कर दिया जाता है। यहां तक कि चुनावी सर्वेक्षण और मीडिया की प्रतिकूल रिपोर्टों को भी छोड़ा नहीं जाता है। उम्मीद है कि दिल्ली के शासकों की ऐसी मानसिकता बदले।

चलिए, हम डॉ. अम्बेडकर को याद करें और उनके स्वप्न के भारत का निर्माण करने के लिए साथ मिलकर भगीरथ प्रयास करें। ■

(लेखक प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं)

नेल्सन मंडेला का निधन

पूरे विश्व में शोक की लहर...

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का 6 दिसम्बर 2013 को निधन हो गया। वो 95 साल के थे। उन्होंने जोहान्सबर्ग के अपने घर में अंतिम सांस ली। मंडेला पिछले तीन सालों से बीमार चल रहे थे। पिछले 6 महीनों से उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी।

दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद से आजादी मंडेला की अगुवाई में ही पाई थी। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई। सन् 1964 से 1990 के बीच उन्हें बदनाम रॉबेन आईलैंड जेल में रखा गया। उनकी कोशिशों का नतीजा था कि 1994 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से आजाद सरकार बनी और मंडेला 1999 तक इस सरकार के राष्ट्रपति रहे। 1993 में मंडेला को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया।

मंडेला के निधन की खबर के बाद ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका, बल्कि दुनियाभर में शोक की लहर फैल गई है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेल्सन मंडेला के निधन पर दुख जताया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, ''इंसानों के बीच मसीहा समान मंडेला नहीं रहे। उनका निधन जितनी बड़ी क्षति दक्षिण अफ्रीका के लिए उतनी ही भारत के लिए भी। वो एक सच्चे गांधीवादी इंसान थे।''

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने शोक संदेश में कहा, '' नेल्सन मंडेला जी एक इंस्पाइरिंग हीरो थे, जिन्होंने लोगों को न्याय दिलाने और भेदभाव मिटाने के लिए जंग लड़ी।'' विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मंडेला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जीवन और मृत्यु का आपस मे शाश्वत संबंध है। जो आया है, वह जायेगा। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला ऐसा ही काम करके गए। रंगभेद, असमानता, दमन के खिलाफ संघर्ष में 27 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे लेकिन इसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा।

भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा- दुनिया ने शांति और अहिंसा का एक दूत खो दिया है। ■

धारा 370 का पंथनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं, यह भारतीय नागरिकों के दमन का एक औजार है

✍ अरुण जेटली

नरेन्द्र मोदी के जम्मू भाषण पर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। एक लम्बे अन्तराल के बाद धारा 370 पर पूरे देश में गंभीर बहस हो रही है। पूर्व में गलत जानकारी के कारण धारा 370 का मुद्दा पंथ निरपेक्षता बनाम गैर पंथनिरपेक्षता का बनकर रह गया था। धारा 370 का पंथ निरपेक्षता से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे स्वयं का इस विषय पर अध्ययन ने एक चौंकाने वाला आयाम उजागर किया है कि किस तरह से धारा 370 भारत के नागरिकों के ही विरुद्ध शोषण एवं भेद-भाव का एक औजार बन सकता है।

धारा 370 एक विशेष प्रावधान है जिसे केवल जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में बनाया गया है। यह एक अस्थायी प्रावधान। इसका संबंध केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से है। जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में केन्द्रीय सूची बहुत छोटी है। अधिकतर शक्तियां राज्य विधायिका में निहित हैं। यदि कोई शक्ति केन्द्र से राज्य की ओर जाना है तब इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। धारा 370 निम्नलिखित बातें कहता है:-

370- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान:-

1. संविधान के अन्य बातों के अलावा

क. धारा 238 के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर नहीं लगेंगे।

ख. कानून बनाने की संसदीय शक्तियां राज्य के संबंध में सीमित होंगी:-

i. राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र एवं समवर्ती सूची के वे विषय जो राष्ट्रपति द्वारा विलय पत्र में उल्लिखित राज्य के भारतीय डोमिनियन में विलय के अंतर्गत जिन पर डोमिनियन राज्य के सबंध में कानून बना सकता है, तथा

ii. अन्य सूची के ऐसे विषय जिसे राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति चिन्हित करें।

धारा 370 एक विशेष प्रावधान है जिसे केवल जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में बनाया गया है। यह एक अस्थायी प्रावधान। इसका संबंध केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से है। जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में केन्द्रीय सूची बहुत छोटी है। अधिकतर शक्तियां राज्य विधायिका में निहित हैं। यदि कोई शक्ति केन्द्र से राज्य की ओर जाना है तब इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक है।

व्याख्या:- इस धारा के अनुसार, राज्य सरकार का राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के महाराज के रूप में मान्यता प्राप्त वह व्यक्ति जो मंत्रीपरिषद की सलाह पर उस समय कार्य करता हो तथा महाराज के घोषणा, 5 मार्च 1948, के समय पद पर हो।

ग. धारा एक के प्रावधान राज्य के संबंध में प्रभावी होंगे।

घ. संविधान के वैसे अन्य प्रावधान जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा चिन्हित हो अपवाद एवं संशोधनों के साथ राज्य पर प्रभावी होंगे:

बशर्ते की राज्य के विलय पत्र जो अनुच्छेद-(1) के उप खंड (ख) में निर्दिष्ट विषय से संबंधित बातों पर राज्य सरकार से परामर्श के बिना जारी ना किया जाये, बशर्ते ऐसा कोई भी आदेश जिसका उन विषयों के अलावा जो पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट है राज्य सरकार की सहमति के बिना जारी न हो।

370 (1) के प्रावधानों के अनुरूप भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश (कानून नहीं) के द्वारा संविधान की धारा 35ए अधिसूचित किया। धारा 35ए के प्रावधान निम्नवत हैं:

35-ए संविधान में दिए गये अन्य विषयों, जम्मू एवं कश्मीर में प्रभावी प्रचलित सभी कानून, एवं इसके बाद राज्य विधायिका द्वारा बनाये गये कानून के बाद;

(क) वैसे लोगों के वर्ग जो जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासी हों की परिभाषा, या

(ख) वैसे स्थायी निवासी को विशेष अधिकार एवं लाभ देना अथवा अन्य व्यक्तियों पर बंधन निम्न विषयों पर लगाना:-

(i) राज्य सरकार में नौकरी;
(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;
(iii) राज्य में बसना, अथवा;
(iv) छात्रवृत्ति का अधिकार या अन्य प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार दे इस आधार पर निष्प्रभावी होगी जब इस भाग के किसी प्रावधान से असंगत या भारत के नागरिक को दिए किसी अधिकार को लेती अथवा उस पर हस्तक्षेप करती हो।

जम्मू एवं कश्मीर में जाने वाले अभागे लोग को भारत की नागरिकता प्राप्त है। वे भारत में कहीं भी सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 6 के अंतर्गत राज्य की प्रजा का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। भारत का नागरिक होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वे विधानसभा, नगरपालिका अथवा पंचायत का चुनाव न तो लड़ सकते हैं न ही इनमें अपना वोट डाल सकते हैं।

इस तरह से वहां भारत के वे नागरिक हैं जिन्हें राज्य की प्रजा का दर्जा नहीं दिया गया है। 'राज्य की प्रजा' और 'स्थायी नागरिक' जैसे शब्द एक-दूसरे के लिए प्रयोग किए गये हैं। 1947 में लाखों लोग भारत में आये। जो भारत के दूसरे भागों में बस गये उनके लिये सभी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जाने वाले अभागे लोग को भारत की नागरिकता प्राप्त है। वे भारत में कहीं भी सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 6 के अंतर्गत राज्य की प्रजा का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। भारत का नागरिक होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वे विधानसभा, नगरपालिका अथवा पंचायत का चुनाव न तो लड़ सकते हैं न ही इनमें अपना वोट डाल सकते हैं।

वे राज्य में रोजगार नहीं पा सकते। राज्य में जायदाद नहीं खरीद सकते। उनके बच्चे महाविद्यालयों में 'राज्य की प्रजा' के रूप में प्रवेश नहीं पा सकते। उनमें से मेधावी छात्र न तो छात्रवृत्ति पा सकते हैं न ही राज्य से कोई सहायता। भारतीय संविधान में धारा 370(1)(डी) के अंतर्गत अधिशासी आदेश के द्वारा डाली गयी धारा 35ए संविधान के 'इस भाग' के प्रावधानों को विलग करता है। संविधान का 'इस भाग' 'भाग III' से संबंधित है।

इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार से असंगत कानून भी मान्य होगा। भारत के ये नागरिक धारा 14 (समानता), धारा 15 (पंथ, जाति, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध), धारा 16 (जन रोजगार एवं आरक्षण के विषय में अवसर की समानताऋ, धारा 19 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार शामिल है, तथा धारा 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। धारा 25 के अंतर्गत उन्हें अपने पंथ के प्रचार एवं मानने की स्वतंत्रता नहीं है। धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्राप्त संरक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं है। गैर-'राज्य प्रजा' जो भारत के नागरिक हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर में रहते हैं धारा 35ए के कारण इन संरक्षणों से वंचित हैं। राज्य से बाहर विवाह करने वाली बेटियों के संबंध में 2002 से पूर्व की स्थिति जिसमें वे अपने उत्तराधिकार के अधिकार को खो देती थी, भारत के नागरिकों से भेदभाव, भारत के नागरिक एवं राज्य की प्रजा के बीच भेदभाव जो धारा 35ए करती है, पर आधारित है।

क्या धारा 35ए जैसे प्रावधान जो धारा 370 के कारण प्रभावी हैं किसी सभ्य समाज में बरकरार रहना चाहिए? यह भारत के नागरिकों के लिए दमनकारी है। यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन तथा भेदभावपूर्ण है। धारा 35ए, 1954 में लागू हुआ। सीधे-सादे रूप में यह संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन करती है। मुझे लगता है कि इसकी संवैधानिक वैधता को किसी समय चुनौती दिया जायेगा। ■

क्या धारा 35ए जैसे प्रावधान जो धारा 370 के कारण प्रभावी हैं किसी सभ्य समाज में बरकरार रहना चाहिए? यह भारत के नागरिकों के लिए दमनकारी है। यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन तथा भेदभावपूर्ण है। धारा 35ए, 1954 में लागू हुआ। सीधे-सादे रूप में यह संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन करती है। मुझे लगता है कि इसकी संवैधानिक वैधता को किसी समय चुनौती दिया जायेगा।

(लेखक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं)

राजनीति का वह दौर...!!!!!

✍ प्रभात झा

पहले 'राजनीति' ही सब कुछ नहीं होती थी, राजनीति के मायने अलग हुआ करते थे। सद्भावना, सहजता, सरलता, वाद-विवाद में उदारता, आपसी मर्यादा, एक दूसरे के प्रति चिंता, एक दूसरे के दु:ख-सुख को अपना दु:ख-सुख मानने का स्वभाव एक दूसरे में देखने को मिलता था। एक दिन में, सप्ताह में या पंद्रह दिन में एक दूसरे के यहां एकत्रित होना और राजनीति में होते हुए भी सामान्य बातों की चर्चा करना कठिन नहीं था। किसी एक के यहां एकत्रित होते थे, कुछ खाने-पीने का दौर चलता था, हंसी-मजाक में (हा-हा, हू-हू) और वातावरण इतना सौम्य कि सभी भूल जाते थे कि वे किस पार्टी के हैं! पार्टी यहां परिवार का रूप ले लेती थी। नोंक-झोंक (स्तरीय)। नीचा दिखाने वाला नहीं बल्कि हंसने और हंसाने वाला। हर शहर में एक-दो या तीन स्थान तो ऐसे होते ही थे जहां लोग खुलकर चर्चा करने का सामर्थ्य रखते थे। क्रम सा बना रहता था। आज शाम भईया जी के यहां तो कुछ दिनों बाद भाई जी के यहां। कहने का तात्पर्य कोई औपचारिकता नहीं होती थी। अनौपचारिकता में जो अपनत्व जन्म लेता था, उस अपनत्व से सभी लोग बंधे रहते थे। हमउम्रों का शानदार जमावड़ा। वह उदासीनता को दूर करने का स्थान और एकाकीपन का मौन तोड़ने का स्थान सा बन जाता था।

ऐसी चौपालों की चर्चा गांव हो या शहर सभी को पता रहती थी। अनभिज्ञ कोई नहीं होता था, पर जाते वहीं थे, जिन्होनें वहां जाने की सामाजिक पात्रता प्राप्त कर रखी होती थी। 'कटुता' जहर के बजाए अमृत बरसने का स्थान। एक दूसरे के बारे में इतनी निकटता की आप हिचकी लें और लोग समझ जाऐं कि वे उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्हें हिचकी आ रही है। आनंद के इस वातावरण का वर्षों तक लोगों ने आनंद लिया है। आपस का यह मिलन विश्वास का मिलन होता था। एक-दूसरे से लोग सीखा करते थे। राजनीति के अनेक अलिखित अध्यायों का अध्ययन सहज व्यवहारिक ज्ञान से हो जाता था। गरीबी-अमीरी का रौब आड़े नहीं आता था। ज्ञान का, बुद्धि का सामाजिक स्तर पर विस्तार होते स्वयं देखा जा सकता था। पहले राजनीति रोग-भोग के बजाए निरोग भाव से संपन्न हो जाती थी।

आज ऐसे घरों की कमी हर जिले और संभाग में आ गई है। धीरे-धीरे राजनीति में इस तरह की अनौपचारिक बैठक संस्कृति और परंपरा बन चुकी थी। समय तेजी से निकलता गया। इस तरह की बैठकों का दौर क्यों चलता था, पर जब ध्यान देते हैं तो बात समझ में आती है कि वहां बैठने वाले राजनीति में कार्यरत नेताओं का एक नि:स्वार्थ भाव रहता था। आज स्थिति बदल गयी है। शनै:-शनै: इस तरह का माहौल पता नहीं कैसे समाप्त होता चला गया। देखते-देखते 'राजनीति' एकांकी और बंद कमरों की हो गई। हवा बंद कक्ष (एयर टाईट रूम) में होने वाली बैठकों ने राजनीति के मायने बदल दिए। भाईजी, भईया जी का स्थान 'सर' ने ले लिया। सब कुछ बदल गया। बैठना तो दूर देखना भी नहीं, देखना भी नहीं बचा। हंसना तो भूल ही गए। जब बैठना नहीं होगा तो हंसना कहां से होगा?

समाज और राजनैतिक क्षेत्रों में कार्यरत नेताओं में निकटता का वह भाव धीरे-धीरे समाप्त होता चला गया। दूरियां ऐसी बढ़ती गयीं कि सार्वजनिकता को निजता ने घेरना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन जीने वालों को ''निजि जीवन'' के प्रति सार्वजनिकता अधिक समर्पित करना खतरे से खाली नहीं हो रहा। सार्वजनिकता में निजता समाहित रहती है। निजता को अलग से देखने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, प्रगति होनी

हर शहर में एक-दो या तीन स्थान तो ऐसे होते ही थे जहां लोग खुलकर चर्चा करने का सामर्थ्य रखते थे। क्रम सा बना रहता था। आज शाम भईया जी के यहां तो कुछ दिनों बाद भाई जी के यहां। कहने का तात्पर्य कोई औपचारिकता नहीं होती थी। अनौपचारिकता में जो अपनत्व जन्म लेता था, उस अपनत्व से सभी लोग बंधे रहते थे। हमउम्रों का शानदार जमावड़ा। वह उदासीनता को दूर करने का स्थान और एकाकीपन का मौन तोड़ने का स्थान सा बन जाता था।

चाहिए पर संस्कृति और परंपराएं भी नहीं टूटनी चाहिए। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। लद गए वे दिन, जब सभी बैठकर स्वच्छंद वातावरण में बंधनों की बेड़ियाँ तोड़कर अनुशासन में खुलकर बातें किया करते थे।

आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व अपनी पिछली पंक्ति के नेतृत्व को तैयार करते थे। व्यावहारिक पाठ किताबों से नहीं अपने आचरण व्यवहार से सिखाने का प्रयत्न करते थे। अपने से आगे निकले और यदि समझ अच्छी है तो उसके निर्माण में अपने को खपा देने की वृत्ति हुआ करती थी। अब तो देखा जाता है उसका विश्वास कहां है? व्यक्ति में या संगठन में? अब तो व्यक्ति-विश्वास का पलड़ा भारी हो जाता है बनिस्पत संगठन विश्वास के। नेतृत्व क्षमता दिख गई तो उसे बौना करने के उपाय ढूंढे जाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए तो यह कि उस नेतृत्व को उसकी क्षमता तक और उसकी क्षमता से अधिक ऊपर ले जाया जाए। पहले सब साथ बैठते थे। साथ चलते थे। साथ घूमते थे। अब बैठते नहीं बल्कि क्लास लगती है। प्रश्नों की बौछार लग जाती है। सदैव विश्वसनीयता का संकट बरकरार ही रहता है। आगे लाना तो दूर पीछे धकेलने की होड़ लग जाती हैं।

राजनीति का वह दौर, पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं? पर यह तो सत्य है उस दौर के लोगों की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा के सभी स्रोत बंद हो गए और अब प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के स्रोत तेजी से बढ़ने लगे। स्थितियाँ इतनी बदतर हो गई कि अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ने का क्रम चल पड़ा। प्रेम और विश्वास का स्थान हिंसा ने ले लिया। एक दूसरे के लिए जान देने की परंपरा धीरे-धीरे एक-दूसरे की जान लेने में बदलती चली गयी है।

स्थितियां बदलनी होगी। सादगी, सरलता, सहजता, नैतिकता, उदारता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को महत्व देना पड़ेगा। उस दौर की उस सामूहिक बैठक के भाव को पुनः जगाना होगा। निःस्वार्थ भाव की उस बैठक को ''दीपक'' पुनः जलाना होगा। काल समय और परिस्थितियों के अनुसार बैठकों का स्वरूप अवश्य बदलना चाहिए पर बैठकों का मूल पिंड और जो परंपरा रही है, वह तो यथावत् रहना चाहिए। सभी के मिलन से 'मिलनता' का जो भाव उत्पन्न होगा, वही, हमारी जीत का और सुखद्पूर्वक कार्य करने का कारण बनेगा। आप चाहे जिस दौर में आ जाएं, पर यदि हम अपनी संस्कृति छोड़ देंगे। तो हमें कोई नही पूछेगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम भटक जाएंगे। हमें संभालना होगा और उदारता के उस घर में जहां समाज सेवा की सार्थक और सकारात्मक चर्चाऐं होती थीं, उनको जीवित करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित ही भारतमाता को वैभवशाली बनाने की दिशा में हम सभी का एक सार्थक पहल प्रारंभ हुआ, ऐसा लोग कहना शुरू करेंगे। आज इसी की महती आवश्यकता है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद हैं)

आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व अपनी पिछली पंक्ति के नेतृत्व को तैयार करते थे। व्यावहारिक पाठ किताबों से नहीं अपने आचरण व्यवहार से सिखाने का प्रयत्न करते थे। अपने से आगे निकले और यदि समझ अच्छी है तो उसके निर्माण में अपने को खपा देने की वृत्ति हुआ करती थी। अब तो देखा जाता है उसका विश्वास कहां है? व्यक्ति में या संगठन में? अब तो व्यक्ति-विश्वास का पलड़ा भारी हो जाता है बनिस्पत संगठन विश्वास के।

संगठन शिल्पी
श्री कुशाभाऊ ठाकरे
(15 अगस्त 1922 – 28 दिसम्बर 2003)
की पुण्यतिथि पर
शत्-शत् नमन!

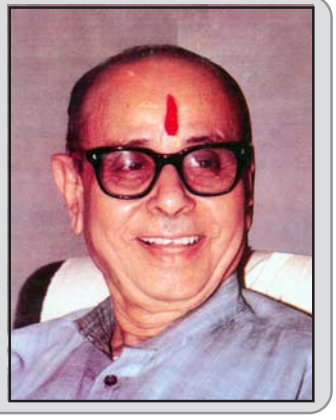

नवाज शरीफ ने सबक नहीं सीखा

✍ जी पार्थसारथी

छह सेवारत अधिकारियों की वरिष्ठताओं को लांघकर, जुल्फिकार अली भुट्टो जो कभी यह कहते नहीं थकते थे कि उन्होंने शिमला में इंदिरा गांधी से काफी बेहतर हासिल कर लिया है, ने चापलूस किस्म के जनरल जियाउल हक को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया था। इस नियुक्ति को अपने पति की सबसे बड़ी गलती करार देते हुए बेगम नुसरत भुट्टो ने 1982 में मुझे बताया था कि वो जनरल जिया की शाश्वत वफादारी की बातों के भुलावे में आ गये थे। तब एक ऐसा भी अवसर आया था जब, कुरान हाथ में लेकर, जनरल जिया ने जुल्फिकार भुट्टो के समक्ष कसम खायी थी: 'आप पाकिस्तान के मुक्तिदाता हैं और हम आपके प्रति पूरी वफादारी रखते हैं।' मात्र एक सप्ताह बाद, 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया ने सेना की कुख्यात रावलपिंडी स्थित 111 ब्रिगेड द्वारा किये गये तख्ता पलट के द्वारा जुल्फिकार भुट्टो को पदच्युत कर दिया। 4 अप्रैल 1979 को, जनरल जिया ने उस व्यक्ति को जिसे वो पाकिस्तान का मुक्तिदाता कहते थे, फांसी पर लटका दिया।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जवाज शरीफ जनरल जिया के सैन्य शासन की उपज हैं, जो पंजाब के अपने फौजी गवर्नर, जनरल गुलाम जिलानी खान के संरक्षण में फले-फूले। वह समय था जब जनरल जिया भारत के पंजाब प्रांत को अस्थिर करने पर आमादा थे। खालिस्तानियों से संपर्क रखने का श्री शरीफ का शौक, वाशिंगटन डीसी के गंगा सिंह ढिल्लों की तरह उनके दूसरे कार्यकाल में भी जारी रहा। जब 1988 में बेनजीर भुट्टो सत्ता में आई, श्री शरीफ ने जिया द्वारा नियुक्त किये गये राष्ट्रपति गुलाम इशहाक खान, सेना प्रमुख जनरल असलम बेग और आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी के साथ

शरीफ ने अपने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने 1997 में पुन: सत्ता में आने के बाद, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे मुहाजिर को सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिये, अनौपचारिक ढंग से सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफा देने पर विवश किया, यह मानकर कि मुशर्रफ पर काबू रखा जा सकता है। शरीफ ने उच्च मान्यता प्राप्त पश्तूनी, लूटीनेंट जनरल अली कुली खान की वरिष्ठता को लांघा।

उद्देश्य साझा कर लिया। बेनजरी भुट्टो के हाथों से सत्ता छिन गई और शरीफ की मुस्लिम लीग 1991 में सत्ता में वापस लौटी। उनके आईएसआई प्रमुख, जबलिघी जमात के एक कट्टरपंथी सदस्य, जनरल जावेद नसीन ने दाउद इब्राहीम के सहयोग से 1993 के मुंबई बम धमाकों की पटकथा लिखी। शरीफ को राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सत्ता बहाल कर दी। जब सेना प्रमुख, जनरल आसिफ नवाज, जिनके साथ उनके गम्भीर मतभेद थे, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हुए, श्री शरीफ ने मृदुभाषी जनरल वहीद कक्कड़ खान को नया सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिये तीन वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया। जनरल कक्कड़ ने उसके बाद शरीफ को चलता कर दिया।

शरीफ ने अपने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने 1997 में पुन: सत्ता में आने के बाद, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे मुहाजिर को सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिये, अनौपचारिक ढंग से सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफा देने पर विवश किया, यह मानकर कि मुशर्रफ पर काबू रखा जा सकता है। शरीफ ने उच्च मान्यता प्राप्त पश्तूनी, लूटीनेंट जनरल अली कुली खान की वरिष्ठता को लांघा। यह मानकर कि 1998 के नाभिकीय परीक्षणों ने अकूत लोकप्रियता व ताकत दी है, और इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि वो एक कंगाल देश पर शासन कर रहे हैं, श्री शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के कारगिल दुस्साहस को बढ़ावा दिया और उसमें भागीदारी भी की। जब दुस्साहस नाकाम साबित हो गया, और उन्हें बचाव करने के लिये क्लिंटन के व्हाइट हाउस जाना पड़ा, श्री शरीफ ने कारगिल की विफलता के बाद, उस अपमान व अनादर के लिये, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहन करना पड़ा, सारा दोष जनरल मुशर्रफ पर डाल दिया। शरीफ और जनरल मुशर्रफ के बीच बढ़ते अविश्वास और कटुता का परिणाम 12 अक्तूबर 1999 को हुए सैन्य तख्ता पलट के रूप में सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री को

बंदी बना लिया गया और बाद में सऊदी अरब ने उन्हें बचाया।

श्री शरीफ और सैन्य अवस्थापना का आपस में काफी कुछ साझा है। दोनों का ही मुल्ला उमर और अफगान तालिबान से निकटता का ट्रैक रिकार्ड है। दोनों के ही हाफिज सईद और लश्करे तैय्यबा से नजदीकी संपर्क हैं। शरीफ के अतिवादी शिया विरोधी संगठनों यथा लश्करे जंगवी से भी नजदीकी रिश्ते हैं। लेकिन, श्री शरीफ सेना को संपूर्ण शक्तियां देने के विरुद्ध हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सारंगी बजा रहे हैं, जैसा कि दबाव डालने वाले जनरल अशफाक परवेज कयानी द्वारा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को करने पर विवश किया गया था। वे वो विचार हैं जिन्होंने श्री शरीफ को लेफ्टीनेंट जनरल रहील शरीफ की नियुक्ति जनरल कयानी के उत्तराधिकारी के तौर पर करने के लिये अभिप्रेरित किया।

श्री शरीफ ने लेफ्टीनेंट जनरल हारुन इस्लाम की वरिष्ठता को लांघा, जिन्हें पाकिस्तान में टिप्पणीकारों द्वारा औसत दर्जे वाला अधिकारी बताया गया था और जनरल कयानी के कृपापात्र जनरल रशीद महमूद को ऊपर भेजकर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जनरल रहील शरीफ का एक तर्कसंगत कैरियर प्रोफाइल है, मगर नवाचार एवं अभियानों द्वारा सिन्धु में आग लगा देना उनके द्वारा सम्भव नहीं है। जनरल रहील शरीफ की नियुक्ति के पीछे वजह प्रामाणिक रूप से सेवानिवृत्त जनरल अब्दुल कदीर बलूच से उनके नजदीकी रिश्ते होना है, जो कबीलाई मामलों के मंत्री और प्रधानमंत्री शरीफ के विश्वासपात्र माने जाते हैं। यदि श्री शरीफ की वाकई किसी ऐसे सेना प्रमुख को नियुक्त करने में रुचि होती जो प्रभावी ढंग से तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा फैलाये जा रहे धार्मिक अतिवाद के खतरों से निबटने में सक्षम हो, तो उन्हें सर्वाधिक आक्रामक किस्म के लेफ्टीनेंट जनरल तारिक खान को नियुक्त करना चाहिये था जो पदोन्नति की कतार में अगले व्यक्ति थे। जनरल खान पश्तेन आर्मड कोर के अधिकारी हैं, जिन्हें फ्रंटियर कांस्टेबलरी का क्षीण हो चुका मनोबल वापस लाने का श्रेय प्राप्त है जिसे 'तहरीके तालिबान पाकिस्तान' ने पराजित कर दिया था। ऐसा लगता है कि श्री शरीफ अभी भी मानते हैं कि वो 'तहरीके तालिबान पाकिस्तान' के साथ शांति का सौदा कर सकते हैं, जिसे बेहतर सूचित अवलोकनकर्ता अवास्तविक और खतनाक मानते हैं। श्री शरीफ, ज्ञात पारिवारिक संपर्कों वाले पश्तून अधिकारियों को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त करने में संकोच करते प्रतीत होते हैं। सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक के तौर पर, जनरल शरीफ को ध्यान बंटाने के महत्व पर बल देने के लिए जाना जाता है, वर्तमान के लिये, पूर्ण रूप से भारत केन्द्रित दृष्टिकोण से आंतरिक चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये। हालांकि, वो न तो वह कद रखते हैं और न ही संकल्प जो अफगान तालिबान या लश्करे तैय्यबा जैसे भारत विरोधी जिहादी संगठनों को समर्थन देना बंद करने के लिये अनिवार्य है। उनका एक ऐसा राजनीतिक आका भी है जिसके जिहादी संगठनों से नजदीकी रिश्ते हैं, भारत और अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिये। जबकि पाकिस्तानी सेना 'तहरीके तालिबान पाकिस्तान' से टक्कर लेने के लिये तैयार है, मगर वह प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व में ऐसा नहीं करेगी, जब तक आंतरिक सुरक्षा की स्थितियां बेहद खराब होकर पंजाब प्रांत में स्थिरता पैदा नहीं कर देतीं। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे सुरक्षा की स्थिति पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बिगड़ती है, तो 'तहरीके तालिबान पाकिस्तान' जैसे संगठनों की गतिविधियों के लिये अफगानिस्तान व भारत को जिम्मेदार ठहराया जाने लगेगा।

सर्दी के मौसम में कश्मीर की पहाड़ियों में घुसपैठ को अंजाम देना कठिन हो जायेगा। लेकिन नयी दिल्ली को इस आभास के आधार पर योजना बनानी चाहिये कि जून 2014 में जब बर्फ पिघलती है, तो घुसपैठ और हिंसा पुनः आरम्भ हो जायेगी। बीच के महीने ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निबटने एवं 26/11 के साजिशकर्ताओं को कानून के कटघरे में लाने हेतु रणनीति बनाने पर विचार करने का समय दे रहे हैं। आशा है हम पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कहकर आंसू बहाना बंद करेंगे जैसा कि हमने हवाना में किया, और आतंकवाद पर कार्रवाई को वार्ता से नहीं जोड़ेंगे, जैसा कि हमने शर्म अल शेख में किया था। भारत के दक्षिण ब्लाक विचारक, हालांकि, पाकिस्तान के साथ अनवरत एवं अबाधित वार्ता से मनोग्रहीत होने वाले अकेले नहीं हैं। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी, एडमिरल माइक मुलेन, ने भूल से उपजे इस विश्वास के तहत जनरल कयानी के साथ 26 मुलाकातें की थी कि वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने के मामले में उन्हें तरजीह देंगे। वो पाकिस्तान दोहरेपन की कड़वाहट मन में लिये हुए असंतुष्ट होकर सेवानिवृत्त हो गये, यह कहते हुए कि हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का पक्का सहयोगी है। ■

साभार- पायनियर

मुद्दा : तरुण तेजपाल प्रकरण

कांग्रेस की चुभने वाली चुप्पी

✍ ए. सूर्यप्रकाश

पिछले दिनों विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जोरदार दलीलों के बीच तरुण तेजपाल मामले में उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है। अपने मुख्य स्टिंग ऑपरेटर तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर जैसे कांग्रेस को जबरदस्त सदमा लगा है। चाहे तरुण तेजपाल अपने आचरण की लाख दुहाई दे रहे हों और गोवा पुलिस पर राजनीति के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हों, पर सच्चाई यही है कि गोवा पुलिस की कार्रवाई में कोई राजनीति नहीं है। राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता में, जिसके लिए तरुण तेजपाल लंबे समय से संदिग्ध स्टिंग ऑपरेशनों को अंजाम देते आ रहे हैं।

केवल दो तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजपाल दुष्कर्म मामले में कांग्रेस प्रवक्ता चुप्पी क्यों साध गए। पहला मामला 2004 का है, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेजपाल के एक मामले में दखल दिया था। उस साल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सोनिया गांधी ने तेजपाल के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में मनमोहन सिंह की त्वरित कार्रवाई को सुब्रह्मण्यम स्वामी सार्वजनिक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें सोनिया गांधी का पत्र मिल गया है और उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को मामले की पड़ताल करने तथा अब तक हुई कार्रवाई पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। मई 2004 में संप्रग सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद तरुण तेजपाल ने सोनिया गांधी के समक्ष अपना मामला रखा था। 18 जून को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और 25 जून को प्रधानमंत्री का जवाब मिल गया। सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इतनी तत्परता से हमें पता चल जाता है कि तरुण तेजपाल उनके लिए कितने मूल्यवान हैं। तरुण तेजपाल ने संघ परिवार के खिलाफ अनेक स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। 2009 में संप्रग के दोबारा सत्ता में लौटने पर तेजपाल सोनिया गांधी की चाटुकारिता पर उतर आए। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखा- आपने अपने बेटे को राजनीति में आगे लाकर बहुत अच्छा काम किया है। उनमें विनम्रता, कर्मठता और गंभीरता है तथा उनकी दृष्टि सर्वसमावेशी है। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल गांधी भारत की आत्मा से जुड़े हैं। वह उन लोगों की तरह नहीं हैं जो वोट के लिए देवी-देवताओं का सौदा करने से नहीं चूकते। चाटुकारिता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि आपने खुद को और अपने बेटे को हमें सौंप दिया है। कृपया अब अपनी तेजस्वी बेटी को भी हमें दे दें।

नवंबर में तरुण तेजपाल की सहकर्मी ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया जिस कारण मीडिया का ध्यान तहलका प्रकाशित करने वाली कंपनी और व्यवसायी तेजपाल की तरफ गया। नए खुलासों से तेजपाल और इससे जुड़े बहुत से लोगों के बारे में जानकर जनता भौंचक रह गई। अब हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला यह महान योद्धा अपना व्यापार चलाने और व्यापार के लिए साझेदार चुनने में कोई परहेज नहीं रखता था। मीडिया ने तेजपाल के व्यापार और साझेदारों के बारे में काफी जानकारी खोज निकाली है। शुरुआत करते हैं तहलका की फंडिंग से। संगठन के मुख्य प्रायोजक की संदिग्ध व व्यावसायिक गतिविधियों की गंगोत्री है तहलका। यह भी पता चला कि गोवा में पहला थिंकफेस्ट आयोजित करने से पहले तेजपाल ने राज्य में जारी खनन घोटाले पर एक रिपोर्ट को प्रकाशित करने के बजाय उसे दबा दिया था। इसीलिए गोवा में थिंकफेस्ट के प्रायोजकों में खनन कंपनियों से जुड़े हुए लोग भी हैं। इस बात के भी साक्ष्य हैं कि वह दिल्ली में व्यापार शुरू करने के लिए शराब व्यापारी पोंटी चढ्डा के साथ

नवंबर में तरुण तेजपाल की सहकर्मी ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया जिस कारण मीडिया का ध्यान तहलका प्रकाशित करने वाली कंपनी और व्यवसायी तेजपाल की तरफ गया। नए खुलासों से तेजपाल और इससे जुड़े बहुत से लोगों के बारे में जानकर जनता भौंचक रह गई। अब हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला यह महान योद्धा अपना व्यापार चलाने और व्यापार के लिए साझेदार चुनने में कोई परहेज नहीं रखता था।

करार का प्रयास कर रहे थे।

हालांकि इन सब साक्ष्यों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की बड़ी तोपें चुप बैठी रहीं। कांग्रेस की चार प्रमुख महिला नेताओं-जयंती नटराजन, गिरिजा व्यास, रीता बहुगुणा जोशी और शोभा ओझा ने

20 नवंबर को जब तहलका दुष्कर्म की घटना उजागर हुई हर संवेदनशील भारतीय को भय, घृणा और शर्मिंदगी महसूस हुई। किंतु संवेदनशील लोगों में नटराजन शामिल नहीं थीं। एक और नेता इस घटना से विचलित नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'तेजपालजी' सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे और जहां तक दुष्कर्म के आरोपों का सवाल है यह मामला एक युवा पत्रकार और उसके संपादक के बीच का है। इस तरह यह कोई गंभीर अपराध नहीं है, बल्कि ऑफिस का मसला है।

17 नवंबर को संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। चारों महिलाओं ने अहमदाबाद में एक महिला की निगरानी के लिए गुजरात सरकार पर हमले किए। हमेशा की तरह जयंती नटराजन ज्यादा ही मुखर थीं। उन्होंने कहा कि इससे देश में महिलाओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है और आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसे माहौल में क्या देश में कोई महिला सुरक्षित घूम सकती है। उन्होंने कहा कि हम भय, घृणा और शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। उन्होंने दवा किया कि देश में हर महिला का सम्मान और गरिमा दांव पर लगी है। गिरिजा व्यास भी इतनी ही आक्रामक थीं। उन्होंने कहा कि गुजरात घटना का यह मतलब नहीं है कि केवल किसी एक महिला की निजता का हनन हुआ है। इसका मतलब अनेक नागरिकों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं की निजता के हनन से है। नटराजन और अन्य नेताओं ने यह भी मांग की कि गुजरात घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं को तब गुस्सा नहीं आया जब यह खबर आई कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अनेक घोटालों का खुलासा करने वाले तरुण तेजपाल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 20 नवंबर को जब तहलका दुष्कर्म की घटना उजागर हुई हर संवेदनशील भारतीय को भय, घृणा और शर्मिंदगी महसूस हुई। किंतु संवेदनशील लोगों में नटराजन शामिल नहीं थीं। एक और नेता इस घटना से विचलित नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'तेजपालजी' सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे और जहां तक दुष्कर्म के आरोपों का सवाल है यह मामला एक युवा पत्रकार और उसके संपादक के बीच का है। इस तरह यह कोई गंभीर अपराध नहीं है, बल्कि ऑफिस का मसला है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जैसे कुछ अन्य नेताओं ने खुद को तहलका से अलग-थलग दिखाने का हताशाजनक प्रयास किया। पहले दिन कपिल सिब्बल ने दावा किया कि तहलका में उनके कोई शेयर नहीं हैं। अगले दिन उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि उनके नाम 80 शेयर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शेयर के लिए आवेदन नहीं दिया।

सच्चाई जो भी हो पर यह तथ्य अपनी जगह सही है कि तहलका की खोजी पत्रकारिता का सबसे अधिक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। उनके बहुत से साथी आरोप लगाने वाली पत्रकार के खिलाफ लांछन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गोवा होटल की लिफ्ट में जो कुछ हुआ वह आपसी सहमति से हुआ। वे यह भी कहते हैं कि तहलका के अच्छे कामों को भुलाया नहीं जा सकता और तहलका संस्थान को बचाना जरूरी है। यह जानकर कि तहलका ने खनन माफिया के खिलाफ खबरों को दबाया है, कुछ संदिग्ध लोगों को आयोजन का प्रायोजक बनाया है क्या अब भी हमें तहलका के बचने की चिंता करनी चाहिए? तहलका जिन मूल्यों की दुहाई देता था उन्हीं के खिलाफ काम करता नजर आ रहा है। हैरत होती है कि तरुण तेजपाल की भर्त्सना करने की हिम्मन न जुटाने वाली कांग्रेस क्या वही पार्टी है जिसने कभी

सच्चाई जो भी हो पर यह तथ्य अपनी जगह सही है कि तहलका की खोजी पत्रकारिता का सबसे अधिक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। उनके बहुत से साथी आरोप लगाने वाली पत्रकार के खिलाफ लांछन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गोवा होटल की लिफ्ट में जो कुछ हुआ वह आपसी सहमति से हुआ। वे यह भी कहते हैं कि तहलका के अच्छे कामों को भुलाया नहीं जा सकता और तहलका संस्थान को बचाना जरूरी है।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या पतन है। ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

(दैनिक जागरण से साभार)

पुल नहीं, खाई है धारा 370

✍ बलदेव भाई शर्मा

पिछले दिनों एक छोटी सी खबर शायद लोगों के ध्यान नहीं खींच पाई, करीब दो हफ्ते पहले फिल्मकार विशाल भारद्वाज कश्मीर के श्रीनगर के आसपास शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक पर अपनी फिल्म 'हैदर' की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में तिरंगा लहराने और भारतमाता की जय बोलने के कुछ दृश्य फिल्माए जा रहे थे कि एक भीड़ ने इसका विरोध करते हुए उपद्रव शुरू कर दिया और अंतत: शूटिंग रोकनी पड़ी। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 पर बहस के लिए नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बीच इस खबर पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत के एक राज्य में तिरंगे और भारतमाता की जय के विरोध के निहितार्थ क्या हैं? कांग्रेस से लेकर नेशनल कांफ्रेंस तक तमाम कथित सेक्यूलर दलों के नेता मोदी पर हमलावर हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो इस कदर बिफरे हुए हैं कि अपनी सबसे ताजा प्रतिक्रिया में उन्होंने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के विलय की परतें उधेड़ने की धमकी तक दे डाली है। उमर जब धारा 370 को भारत और कश्मीर घाटी के बीच पुल बताते हैं तो इससे यह चेतावनी भी साफ है कि यदि यह खत्म की गई तो कश्मीर भी भारत से अलग हो जाएगा। जबकि उमर या उनके दादा शेख अब्दुल्ला से लेकर पिता फारुख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कांफ्रेंस के दूसरे नेता जो भाषा बोलते रहे हैं या बोल रहे हैं, भारत से अलगाव की उस मनोवृत्ति को धारा 370 ने और मजबूत किया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देकर भारत के साथ उसके एकात्म संबंधों के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी गई जिसने घाटी में अलगाववाद और पाकिस्तानपरस्त तत्वों को फलने-फूलने का मौका दिया।

महाराजा हरि सिंह का भारत संघ के साथ 27 अक्तूबर 1947 को हुआ विलय समझौता अंतिम और असंदिग्ध है, उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश का मतलब है कि कहीं न कहीं अंतश्चेतना में अलगाव की जड़ें अंकुरित हैं। अन्यथा एक संवैधानिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री देश की एकता-अखंडता पर सवाल खड़े कैसे कर सकता है? नेशनल कांफ्रेंस से लेकर पीडीपी तक के नेता जो भाषा बोलते हैं वह जताने वाली है कि कश्मीर का भारत में विलय का फैसला किया जाना मानो भारत पर अहसान है। वे कहते हैं कि कश्मीर के सामने पाकिस्तान में विलय का विकल्प था, लेकिन उसे छोड़कर भारत में मिलना मंजूर किया। वे भूल रहे हैं कि हैदराबाद और जामनगर रियासतों के मुस्लिम कर्ताधर्ताओं ने पाकिस्तान में मिलने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जनभावनाओं के आगे उनके मंसूबे धरे रह गए। फैसला लेने का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराज हरिसिंह का था, इन नेताओं या इनके पुरखों के पास नहीं। फिर कबायली हमले और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जल्दबाजी व अदूरदर्शिता की बदौलत कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया, आज उस पीओके के हालात गवाह हैं कि वहां कश्मीर धरती का स्वर्ग नहीं रह गया है।

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 पर बहस के लिए नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बीच इस खबर पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत के एक राज्य में तिरंगे और भारतमाता की जय के विरोध के निहितार्थ क्या हैं? कांग्रेस से लेकर नेशनल कांफ्रेंस तक तमाम कथित सेक्यूलर दलों के नेता मोदी पर हमलावर हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो इस कदर बिफरे हुए हैं कि अपनी सबसे ताजा प्रतिक्रिया में उन्होंने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के विलय की परतें उधेड़ने की धमकी तक दे डाली है।

शेख अब्दुल्ला नेहरू से दोस्ती के चलते कश्मीर के सत्ता सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए लालायित थे और हआ भी वही। शेख का सत्ता सौंपने के लिए नेहरू का महाराज हरि सिंह पर कितना दबाव रहा और अंतत: महाराजा को कितनी अपमानजनक स्थितियों में अपनी रियासत तक छोड़ने को बाध्य किया गया, यह जानने वाली पीढ़ी अब भी है। जाने-अनजाने धारा 370, कश्मीरियत का राग अलापने वाले नेताओं को भारत का भयादोहन करने और धौंस दिखाने का अधिकार देती है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और कश्मीरियत भारत की सुगंध, उसे भारतीयता से अलग पहचान

देने का अर्थ है देश की एकात्मता से पृथक अपनी खासियत बनाए रखने की कोशिश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है, जिसमें विभिन्न जाति-मत-पंथ-भाषा-खानपान और वेशभूषा के हजारों रंग बिखरे हैं। यह हमारी समग्र राष्ट्रीय चेतना का अहसास है, उसे कश्मीरियत-पंजाबियत या बंगाली-बिहारी अहसास के रूप में अलग करके नहीं देखा जा सकता। जिस तरह आजादी के बाद पांच सौ से ज्यादा रियासतों का भारत में विलीनीकरण हुआ, वैसे ही जम्मू-कश्मीर भी है, फिर इसका विशेषज्ञ दर्जा बनाए रखने का औचित्य क्या है? इसकी आड़ में अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने वाला वर्ग ही इसका पैरोकार है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले आबादी के अनुपात में कम होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार से सबसे ज्यादा अनुदान मिलता है। फिर भी बेरोजगारी और मुफलिसी लगातार बढ़ रही है। विडंबना तो यह है कि राज्य का मतलब केवल कश्मीर घाटी ही समझा जाता है। घाटी में खुशहाली की तर्ज पर जम्मू और लद्दाख को इस विशेष दर्जे का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। आबादी के अनुपात में ज्यादा होने के बावजूद सम्मू संभाग को घाटी के मुकाबले विधानसभा में कम प्रतिनिधित्व क्यों है? धारा 370 के तहत जिस सेक्यूलरिज्म के फलने-फूलने की बात उमर या उनके मंत्री और उनकी पार्टी के नेता करते हैं, वह केवल मुस्लिम हितों के संरक्षण तक सीमित क्यों है। घाटी से जबरन भगाए गए लाखों कश्मीरी पंडितों का खयाल करना क्या सेक्यूलरिज्म की परिभाषा में नहीं आता। देश विभाजन के बाद पीओके से राज्य में आए दो लाख से ज्यदा हिंदू जम्मू क्षेत्र में विस्थापित जीवन जी रहे हैं, उन्हें 66 साल बाद भी राज्य के नागरिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है? धारा 370 का लाभ तो पूरे राज्य के बाशिंदों को मिलना चाहिए। अरुण जेटली अगर कहते हैं कि धारा 370 कश्मीर में भारतीय नागरिकों के दमन और भेदभाव का साधन बन गई है, तो वह अब तक के अनुभवों का सार ही माना जाना चाहिए।

धारा 370 के तहत जिस सेक्यूलरिज्म के फलने-फूलने की बात उमर या उनके मंत्री और उनकी पार्टी के नेता करते हैं, वह केवल मुस्लिम हितों के संरक्षण तक सीमित क्यों है। घाटी से जबरन भगाए गए लाखों कश्मीरी पंडितों का खयाल करना क्या सेक्यूलरिज्म की परिभाषा में नहीं आता। देश विभाजन के बाद पीओके से राज्य में आए दो लाख से ज्यदा हिंदू जम्मू क्षेत्र में विस्थापित जीवन जी रहे हैं, उन्हें 66 साल बाद भी राज्य के नागरिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है?

जिस दिन जम्मू की सभा में नरेन्द्र मोदी के धारा 370 पर बहस के आह्वान के बीच लोग तिरंगा लहरा रहे थे और भारतमाता की जय बोल रहे थे, तब कुलगाम में अलगाववादी नेता सैयद अलीशाह गिलानी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और लोग पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। उमर इस बात पर खामोश हैं, लेकिन मोदी पर अभी तक बरस रहे हैं। धारा 370 ने ही मानसिकता में यह फर्क पैदा किया है। नेहरू की जिद और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिए जाने की वजह से कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान वजूद में आया। हालांकि बाद में उन्होंने स्वयं 27 नवम्बर 1963 को संसद को आश्वस्त किया था कि यह धारा समय के चलते घिसते-घिसते अपने आप घिस जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, उलटे यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर के पूरे देश के साथ सहज रूप से जुड़ने में बाधा साबित हो रहा है। इन आशंकाओं के मद्देनजर ही संविधान सभा में यह मुद्दा उठने पर इसका पुरजोर विरोध हुआ था जिसमें मौलाना हसरत मोहानी और डा॰ भीमराव अंबेडकर के स्वर सबसे तेज थे। बहस में इसकी भी विवेचना हो तो शायद लम्हों की खता सदियों की सजा न बन पाए। ■

यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर के पूरे देश के साथ सहज रूप से जुड़ने में बाधा साबित हो रहा है। इन आशंकाओं के मद्देनजर ही संविधान सभा में यह मुद्दा उठने पर इसका पुरजोर विरोध हुआ था जिसमें मौलाना हसरत मोहानी और डा. भीमराव अंबेडकर के स्वर सबसे तेज थे। बहस में इसकी भी विवेचना हो तो शायद लम्हों की खता सदियों की सजा न बन पाए।

(लेखक 'पांचजन्य' के संपादक रहे हैं।)

साभार- नेशनल दुनिया

'साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक'

इसका विरोध किया जाना चाहिए

✍ अरुण जेटली

दो वर्ष पहले, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया जिसे ' साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा (न्याय और क्षतिपूर्ति) विधेयक' के नाम दिया गया। विधेयक का मसौदा विचार-विमर्श के लिए रखा गया। अन्य लोगों के साथ मैंने इस आधार पर इस विधेयक की कड़ी आलोचना की कि 'कानून और व्यवस्था' और ' सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य का विषय हैं और संसद इस तरह का कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करेगी। यह विधेयक बेहद पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसमें जन्म चिन्हों के आधार पर बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया गया है। इसमें शासन को अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं और धर्म के आधार पर एक समुदाय के पक्ष में शिकायत निवारण और जवाबदेही तंत्र को लाद दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की 2011 में हुई बैठक में, दलगत भावना से हटकर मुख्यमंत्रियों ने विधेयक का इस आधार पर विरोध किया कि यह संविधान के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक होगा।

ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व, समुदाय के आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक बार फिर पत्र लिखकर विधेयक का संशोधित मसौदा भेजा है। इस बारे में अन्य साझेदारों से अब तक पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

2 दिसम्बर 2013 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा. जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री को विस्तार से पत्र लिखा और इसके मसौदे पर अपना कड़ा विरोध प्रकट किया। संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अन्ना द्रमुक के नेताओं ने इसका जिक्र किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस विधेयक पर अपना विरोध दोहराया है। पत्र में कहा गया है कि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस विधेयक के अनेक प्रावधान संविधान के संघीय ढांचे पर अनाधिकार प्रवेश करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि विधेयक के प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका भारी दुरुपयोग हो सकता है। उनका मानना है कि पूर्व के विधेयक में किये गए परिवर्तन केवल खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं। उन्होंने दोहराया कि ''शत्रुतापूर्ण माहौल'' शब्द को '' भयभीत करने वाला, शत्रुतापूर्ण अथवा घृणास्पद माहौल'' के रुप में परिभाषित किया गया है। इसके अलग-अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत सरकारी अधिकारी भी निशाना बन सकते हैं जिनके लिए साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थितियों से निपटना कठिन हो जाएगा। नये मसौदे के अंतर्गत जिन्हें अधिकार दिये जाएंगे वे राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं जिसके कारण निर्वाचित सरकार को कमजोर बना दिया जाएगा। उन्होंने अंत में कहा है कि ''इसके बावजूद, भारत सरकार नासमझी भरे तर्क वितर्क करके, अड़चनें पैदा कर और एकतरफा दृष्टिकोण अपनाकर ऐसा समानान्तर शासन बनाने का प्रयास कर रही है जो राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करेगा।''

> ***यह विधेयक बेहद पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसमें जन्म चिन्हों के आधार पर बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया गया है। इसमें शासन को अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं और धर्म के आधार पर एक समुदाय के पक्ष में शिकायत निवारण और जवाबदेही तंत्र को लाद दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की 2011 में हुई बैठक में, दलगत भावना से हटकर मुख्यमंत्रियों ने विधेयक का इस आधार पर विरोध किया कि यह संविधान के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक होगा।***

हांलाकि विधेयक का मसौदा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस छेड़कर अच्छा काम किया है। उनके विचार तर्कसंगत, न्यायसंगत और संविधान के संघीय ढांचे के अनुरुप हैं। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं।)

सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक पर प्रधानमंत्री को श्री नरेन्द्र मोदी का पत्र

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण

प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा प्रत्याशी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को संसद में पेश करने का घोर विरोध करते हुए इसे कुविचारित और गलत प्रारूप की संज्ञा देते हुए इसे राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण का प्रयास बतलाया है। जरूरी है कि इस बारे में सभी राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से व्यापक परामर्श किया जाए। इस समय इस विधेयक का मतलब मात्र वोट बैंक की राजनीति की जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की परम्परा पर आघात है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के प्रस्तावित निवारण, 2013 पर अपना कड़ा विरोध जताया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को अपने पत्र में श्री मोदी ने इस विधेयक को एक कुविचारित और गलत ढंग से तैयार किया प्रारूप और विनाशकारी की संज्ञा दी है। उनका यह भी कहना है कि यह एक ऐसा प्रयास है जिससे राज्य सरकारों के अधिकारों के अतिक्रमण होगा और यह भी मांग की है कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पूर्व व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए जिसमें सभी राज्य सरकारें, राजनीतिक दल, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आदि शामिल हैं।

श्री मोदी ने कहा कि साम्प्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील होने तथा एक वर्ष से भी अधिक समय से अपने राज्य में उपद्रव-मुक्त रहने वाली सरकार का मुख्य मंत्री होने के नाते मै। इस बात से सहमत हूं कि साम्प्रदायिक हिंसा के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है, परन्तु विधेयक में लिखित सामग्री और समय-निर्धारण इसे संदिग्ध बना रहे हैं। उन्होंने संसद में इस विधेयक को पेश करने के बारे में केन्द्र सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों से पूर्व किया जा रहा ऐसा प्रयास संदेह पैदा करने वाला है और लगता है कि इस विधेयक को पेश कर साम्प्रदायिक हिंसा-रोकने की वास्तविक चिंता की बजाय इसके पीछे वोट बैंक राजनीति के कारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे अपने इस पत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री ने साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के प्रस्तावित निवारण, 2013 पर विभिन्न प्रकार के संचालित मुद्दों की तरफ भी ध्यान दिलाया। उन्होंने इस प्रस्तावित विधेयक की अलग-अलग धाराओं की विभिन्न प्रकार की खामियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया।

उदाहरण के लिए धारा 3 (एफ) में 'Hostile Envirment अर्थात् प्रतिकूल वातावरण को जो परिभाषा की है, वह कहीं अधिक विस्तृत, अस्पष्ट और दुरूपयोग से भरी हुई है। इस प्रकार, यदि धारा 3(डी) के साथ धारा 4 को पढ़े जाने पर साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा से ऐसे सवाल उभरकर आते हैं कि क्या केन्द्र भारतीय अपराध न्यायशास्त्र के संदर्भ में 'Thought Crime' की अवधारणा सामने ला रहा

है। श्री मोदी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि इन प्रावधानों के बारे में साक्ष्य अधिनियम की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आपराधिक दायित्व ठहराने के मामले में अपना कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इससे हमारी कानून व्यवस्था संभालने वाली प्रवर्तन एजेंसियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

धारा 10बी (कमांड उत्तरदायित्व का भंग करना) ऐसी धारा है जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की विफलता पर दण्ड देने का प्रावधान रखा गया है। इस पर श्री मोदी ने लिखा है कि यह प्रावधान एकदम बेतुका है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की कोशिश की गई है

जिससे किसी व्यक्ति की अक्षमता को अपराध में बदल दिया जाए। ऐसे मुद्दों पर 'स्ट्रक्चल रिस्पांस' की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने सभी समस्याओं के विधायी समाधान खोजने की प्रवृत्ति पर गहन आलोचना की।

उन्होंने धारा 10 बी के प्रावधान की भी आलोचना की और सचेत किया कि इसका मतलब तो यही होगा कि वरिष्ठ अधिकारी आपराधिक दायित्व के भय के कारण किसी भी काम में दखल देने से घबराएंगे और वे कनिष्ठ अधिकारियों को स्वयं अपना बचाव करने के लिए छोड़ देंगे।

उन्होंने इस बात पर घोर चिंता व्यक्त की कि इस प्रस्तावित विधान से भारतीय समाज और भी कहीं अधिक मजहबी और भाषायी आधार पर बंट जाएगा क्यों उनका कहना था कि मजहब और भाषायी पहचान और अधिक पुष्ट होगी और फिर हिंसा की मामूली घटनाओं को भी साम्प्रदायिक रंग दिया जाएगा और इस तरह विधेयक में जिस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा है, उसका परिणाम एकदम उलटा ही पड़ेगा।

श्री मोदी ने इस बात की जोरदार आलोचना की कि जिस ढंग से केन्द्र साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक ला रहा है उससे यही पता चलता है कि उसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर (परिसंघीय ढांचे) की जरा चिंता नहीं है। उन्होंने लिखा कि केन्द्र 'लॉ एंड आर्डर' कानून-व्यवस्था और 'पब्लिक आर्डर' (सार्वजनिक-व्यवस्था) के मुद्दों पर कानून बनाने का प्रयास कर रहा है जो सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य-सूची) का भाग है, जिससे पता चलता है कि केन्द्र राष्ट्र में फेडरल स्ट्रक्चर और शक्तियों के विभाजन के सिद्धातों की अवमानना करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केन्द्र ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने में धीमा पड़ा हुआ है जो संघ सूची (सूची-I) का भाग है, जिसमें 97 प्रविष्टियां हैं, परन्तु इसकी बजाए वह राज्य सूची के मुद्दों पर अतिक्रमण करने पर उतारू है। श्री मोदी ने जानना चाहा कि क्या यह ऐसा प्रयास नहीं है कि वह इस प्रकार के कुविचारित कानून और गलत ढग वाले प्रारूप को तैयार करने के बाद राज्य सरकारों पर 'अनुचित कार्यान्वयन' का दोष मढ़े जबकि इस प्रकार के कानून से वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे और समस्या और भी अधिक बिगड़ती चली जाएगी।

गुजरात मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना था कि यह मुद्दा राज्य सूची में आता है और यदि किसी बात का कार्यान्वयन होना है तो उसे राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार ही आवश्यक कानून बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसी कोई बात है जिसे केन्द्र राज्य सरकारों के साथ शेयर करना चाहता है तो उसे एक 'मॉडल विधेयक' तैयार कर उसे विभिन्न राज्य सरकारों के पास उनके विचारार्थ भेजना चाहिए।

श्री मोदी ने आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का स्मरण कराते हुए कहा कि जिसमें मैंने अन्य बातों के अलावा यह प्रश्न उठाया था कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका सम्बन्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों से है, जो योजना कमीशन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद आदि जैसी निकायों में घुसपैठ कर गए हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा पर नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता प्रगट की कि एनएसी जैसी संविधानेतर अथारिटिज (अधिकरणों) ने निर्वाचित सरकारों की कानून बनाने की शक्तियों को छीन लिया है।

निर्वाचित सरकार की एक्जीक्यूटिव विंग में निहित शक्तियों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में एनएचआरसी और एसएचआरसी को एकजुट करने के प्रस्ताव पर श्री मोदी का कहना था कि ये निकाय पहले ही वर्तमान कानून के अनुसार उनके अधीन है जिससे साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के दौरान गम्भीर मानवाधिक उल्लंघनों पर काम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इन निकायों को सभी मुद्दों के समाधान करने, अपीलों को संभालने और व्यक्तिगत घटनाओं पर नजर रखने के बोझ से लादना न तो व्यावहारिक है, और न ही वांछनीय है। श्री मोदी का यह दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार ही ऐसा केन्द्र बिंदु है जिस पर सभी उत्तरदायित्वों और जवाबदेही का सामना करना होता है और इस मूल ढांचे को हिलाने का परामर्श एकदम गलत होगा। इस प्रकार, श्री मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखा कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत ही एसएचआरसी और एसएचआरसी की भूमिका का निर्वाह किया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने साम्प्रदायिक हिंसा क्षतिपूर्ति फंड की स्थापना का स्वागत करते हुए शब्द मुआवजा के उपयोग को तर्कसंगत बताते हुए कहा कि सरकार को मुआवजे के मुद्दे को सक्षम अदालत पर छोड़ देना चाहिए और इसकी बजाए पीड़ित को तुरन्त राहत और इमदाद पहुंचाने के लिए राहत। इमदाद का प्रावधान करना चाहिए। उनका मत था कि विधेयक के अन्तर्गत 'नैतिक चोट' के लिए मुआवजे को विचित्र बताया और कहा कि यह ऐसा प्रावधान है जिसमें कार्यान्विततता को ध्यान में नहीं रखा गया है। ■

ललकार रैली, जम्मू

'हम जम्मू-कश्मीर को सुपर स्टेट बनाना चाहते हैं'

जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे पर प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से बहस कराए जाने की मांग कर हलचल पैदा कर दी है। गत 1 दिसम्बर को जम्मू में ललकार रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा – 'अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बजाय इस पर बहस कराई जानी चाहिए। अगर वाकई में इससे राज्य को फायदा हो रहा है तो भाजपा इसे जारी रखने के पक्ष में है। हम जम्मू-कश्मीर को अलग नहीं बल्कि सुपर स्टेट बनाना चाहते हैं।'

राज्य में अब तक की अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे श्री नरेंद्र मोदी का भाषण जम्मू-कश्मीर पर ही केंद्रित रहा। ललकार रैली में एक लाख लोग जुटाने का लक्ष्य रखने वाली भाजपा का मौलाना आजाद स्टेडियम छोटा पड़ने का दावा भी सही हो गया। स्टेडियम खचाखच भर जाने के कारण हजारों लोगों को स्टेडियम के बाहर खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कांग्रेस व सत्तारूढ़ नेशनल काफ्रेंस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये पार्टियां अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए धर्मनिरपेक्षता व अनुच्छेद 370 के नारे का इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाओं के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि 'जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को देश के अन्य राज्यों की तरह बराबर अधिकार नहीं प्राप्त है। जो अधिकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हैं वह राज्य के बाहर शादी करने वाली उनकी बहन सारा को नहीं हैं। क्या यह महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं है?'

प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीर दौरे का जिक्र करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी का राज्य को लेकर इंसानियत, जमहूरियत व कश्मीरियत का मूल मंत्र आज भी भाजपा का मार्गदर्शक है। भाजपा पर कटाक्ष करने वाले नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि 'अनुच्छेद 370 घिसते-घिसते घिस जाएगी, कांग्रेस उनके इस दावे को पूरा कर दिखाए।'

राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उमर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि यहां के शासकों को केंद्र से मांगने की आदत है। भीख का कटोरा लेकर जाने वाले राज्य के कई नेता विदेशों में रहते हैं। हम जम्मू-कश्मीर को भिखारी नहीं बल्कि सुपर स्टेट देखना चाहते हैं। अलगाववादियों पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में अलगाववाद का गुणगान कर जम्मू कश्मीर के पचास परिवारों ने फायदा उठाकर पूरे देश को अंधेरे में रखा।

केंद्र पर पाकिस्तान व चीन के प्रति कमजोर कूटनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि चीन लेह के डेमचौक इलाकों में लोगों को मुत सिम बांट रहा है, जबकि अपना टेलीकाम मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने चीन के मना करने के बाद भी तिरंगा फहराने वाले डेमचौक के लोगों को देश की ओर से बधाई दी।

श्री मोदी ने सरकार पर जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिल्म उद्योग और हर्बल मेडिसिन को प्रोत्साहित न करने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री जेपी नड्डा, राज्य प्रभारी सांसद श्री अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगल किशोर शर्मा समेत अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■